प्रारूप

बिहार शिक्षा परियोजना
रोहतास

कार्य योजना १९९४-९५

541230
372
BiH-B

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC. No D-8266
Date 05-10-94

बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास की वर्ष 1994-95 की कार्य योजना

1. भूमिका

1. बिहार शैक्षणिक दृष्टि से देश का एक पिछड़ा प्रदेश है । वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की कुल जनसंख्या का केवल 38.48 % ही साक्षर हैं । जिसमें पुरुष साक्षरता 52.49 % तथा महिला साक्षरता 23.89% है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला की कुल जनसंख्या का केवल 38.15% ही साक्षर हैं जो कि प्रदेश साक्षरता प्रतिशत से कम है । इसमें पुरुष साक्षरता 75.02 % तथा महिला साक्षरता 24.98% है। यदि राज्य तथा रोहतास जिला के शैक्षणिक आँकड़ों का अवलोकन किया जाय तो हम पाएंगे कि प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के प्रतिवेदित आँकड़े संतोषप्रद स्थिति को दिखाते हैं लेकिन छीजन की दर बहुत अधिक होने के कारण अधिकांश नामांकित बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं । महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित आँकड़े भी प्रतिकूल स्थिति ही दर्शाते हैं । इसलिए वर्तमान शताब्दी के अन्त तक सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य एक बड़ी चुनौती बन गया है। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रयासों को उपर्युक्त परिपेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए ।

2. बिहार शिक्षा परियोजना प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने और उस परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव लाने के लक्ष्य से प्रारम्भ की गई है। परियोजना के प्रयासों में "प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण" पर भी विशेष बल दिया गया है।

3. विगत दो वर्षों में रोहतास जिला में परियोजना के कार्यान्वयन के क्रम में यह स्पष्ट हो गया है कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य बिना सबकी भागीदारी के संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि सर्वव्यापीकरण के इस प्रयास में सभी सरकारी विभाग, समाज के सभी समुदाय और वर्ग तथा सभी गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी ली जाय। यदि भागीदारी का सर्व व्यापीकरण नहीं हो पाता है तो परियोजना के कार्यान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहेगी ।

4. पिछले कुछ वर्षों में परियोजना के कार्यान्वयन के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव और शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन एक मंथर प्रक्रिया है । अतः परिणाम परिलक्षित होने में समय तो लगेगा ही साथ ही परिवर्तन के विरोध के स्वर भी उठेंगे । विशेषकर महिला साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में यह परिलक्षित हो रहा है । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह

NIEPA DC
D08266

आवश्यक है कि जो भी मूल्यांकन और आंकलन की प्रणाली विकसित की जाय वह इस बिन्दु को ध्यान में रखकर की जाय तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों/वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।

5. पिछले वर्ष के अनुभवों से सीख कर वर्ष 94-95 की कार्ययोजना में सभी कम्पोनेन्टस के अन्तर्गत कुछ नवाचार प्रक्रियाएँ (इनोवेटिव अप्रोच) भी प्रस्तावित की गई हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कुछ चयनित प्रखण्डों के 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं का प्राथमिक शिक्षा से पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन चयनित प्रखण्डों में 6 से 14 वर्ष के कोई भी बालक-बालिका प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहें। गुरू गोष्ठियों के स्वरूप में गुणात्मक परिवर्तन कर उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ लगातार सम्पर्क सूत्र के रूप में प्रयोग करना। महिला साक्षरता अन्तर्गत महिला समूहों द्वारा साख और बचत गतिविधियाँ, चयनित महिला समूहों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण तथा प्रयोगात्मक रूप से इन समूहों द्वारा ईंट निर्माण जिसका प्रयोग परियोजना संबंधी निर्माण कार्यों में किया जायगा। प्रबंधन अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय स्टीयरिंग समूहों की संकल्पना भी नवाचार प्रक्रिया के तहत की गई है।

6. पिछले कुछ वर्षों में परियोजना कार्यान्वयन के अनुभव से यह भी स्पष्ट हुआ है कि परियोजना के सभी कम्पोनेन्टस (यथा औपचारिक प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा, प्रशिक्षण, महिला साक्षरता आदि) के तहत बालिका और महिला शिक्षा पर विशेष बल दिए बिना "सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्य की प्राप्ति इस शताब्दि के अन्त तक सम्भव नहीं है। महिला साक्षरता को चिन्ताजनक रूप से कम दर अपने आप में एक मुख्य कारण है बालिका और महिला शिक्षा को प्राथमिक लक्ष्य मानने के लिए। वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक मुक्ति और उत्थान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है। बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षित करने का अर्थ है सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना।

7. वर्ष 94-95 में जहाँ एक ओर उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर कार्यान्वयन प्रस्तावित है वहीं "प्रोसेसेज" के सम्बन्ध में भी अधिक ध्यान दिया गया है। कार्य योजना का निर्माण ग्राम स्तर से जिला स्तर तक सभी संबंधित व्यक्तियों, स्वैच्छिक संस्थाएं, ग्राम शिक्षा समितियों, महिला समूहों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श एवं सम्भावित प्रयास से हुआ है। यह भी ध्यान में रखा गया है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन में ग्राम शिक्षा समिति और स्थानीय समुदाय की स्पष्ट भागीदारी हासिल की जाय। अन्य विभागों और अन्य कार्यक्रमों यथा व्यावसायिक शिक्षा,

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational

निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आदि का न केवल सहयोग परियोजना के कार्यान्वयन में लिया जायेगा अपितु इन विभागों के कार्यक्रमों यथा जवाहर रोजगार योजना, मुखिया और डोम बच्चों के लिए विशेष छात्रवृति, जल स्वच्छता कार्यक्रम को भी परियोजना से जोड़ा जाएगा। जिले में अवस्थित औद्योगिक समूहों यथा भारत सरकार का प्रतिष्ठान पी.पी.सी.एल. तथा निजी प्रतिष्ठान कल्याणपुर सीमेन्ट का सहयोग भी परियोजना के कार्यान्वयन में लिया जायेगा।

------0-----

प्रबंधन

बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन की परिधि और गुणवत्ता मूलतः प्रबंधन प्रणाली के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखी जा सकती है। परियोजना की प्रबंधन प्रणाली के मुख्य आयामों की रूप-रेखा इस प्रकार है-

(क) मिशन पद्धति- पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मिशन प्रबंधन प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं । मिशन पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि लक्ष्यों को विशिष्ट कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है । इन विशिष्ट कार्यों के समय बद्ध ढंग से कार्यान्वयन की जवाबदेही विशिष्ट कर्मियों को सौंपी जाती है । क्योंकि बिहार शिक्षा परियोजना एक कालबद्ध योजना है अतः इससे सम्बद्ध कर्मियों, संस्थाओं और संगठनों को न केवल जिम्मेवारी सौंपी गई है अपितु जवाबदेह भी बनाया गया है ।

(ख) पर्याप्तता- प्रबंधन व्यवस्था की अपर्याप्तता शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट समस्या है। इस अपर्याप्तता के कारण संगठनात्मक ढाँचा तथा गुणवत्ता दोनों ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं । बिहार शिक्षा परियोजना अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायगा कि जिला से लेकर ग्राम स्तर तक पर्याप्त प्रबंधन ढाँचे यथा टास्क फोर्स और परिचालन समितियाँ गठित की जाएँ तथा इन ढाँचों को उन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाय जिनकी योग्यता असंदिग्ध हो ।

(ग) सहभागिता- परियोजना के प्रबंधन में सभी महत्वपूर्ण श्रेणियों यथा शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, ग्राम शिक्षा समितियों, महिला समूहों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) सतत्समिक्षा और मूल्यांकन- परियोजना के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर हो रही गतिविधियों का लगातार आकलन, इस बात का नजदीक से और गहराई से देखा जाना कि क्या इन गतिविधियों के फलस्वरूप वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति वांछित गुणवत्ता के साथ हो पा रही है अथवा नहीं अत्यन्त आवश्यक है ।

विगत वर्षों में बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास में प्रबंधन संरचना के अनेक आवश्यक आयाम स्थापित हो गए हैं । जिला कार्यकारिणी समिति का गठन हो चुका है तथा इसकी प्रत्येक तीन माह पर बैठक होती है। जिला कार्यबल का भी गठन हो चुका है तथा इसकी प्रत्येक 15 दिन में एक बैठक होती है। इन दोनों बैठकों में कम्पोनेन्टवार स्थिति की समीक्षा कर कार्य नीतियाँ विकसित की जाती हैं ।

जिला स्तरीय प्रबंधन के कुछ आयाम ऐसे हैं जहाँ वर्ष 94-95 में त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। पिछले वर्षों के अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि परियोजना का क्षेत्रीय दायरा तथा गतिविधियों की परिधि बहुत तेज गति से बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कम्पोनेन्ट के कार्यों के संयोजन तथा पर्यवेक्षण के लिए मात्र एक सलाहकार पर्याप्त नहीं है अतः प्राथमिक औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण कम्पोनेन्ट्स में एक और सहायक साधन सेवी का पदस्थापन प्रस्तावित है। इसी प्रकार संस्कृति संचार और सतत् शिक्षा कम्पोनेन्ट हेतु भी एक सलाहकार का पदस्थापन प्रस्तावित है।

जिला और ग्राम स्तरीय प्रबंधन, संरचना के गठन और स्थापना पर तो विगत वर्षों में बल दिया गया जिसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए लेकिन प्रखण्ड स्तरीय प्रबंधन संरचनाओं पर कुछ कार्य नहीं हो पाया। वर्ष 94-95 में प्रखण्ड स्तरीय संचालन समितियों का भी गठन किया जाएगा जिसमें प्रखण्ड स्तरीय विकास, राजस्व, शिक्षा के पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रखण्ड क्षेत्र के समाजसेवी, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध लोग, महिलाएं तथा गैर सरकारी संगठनों और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे। प्रखण्ड स्तरीय संचालन समितियों के गठन से न केवल परियोजना के प्रबंधन की पर्याप्तता (एडीक्वेसी) को बल मिलेगा अपितु सहभागिता का दायरा भी फैलेगा।

मूल्यांकन के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अधिक कार्य नहीं हो पाया था जिसके फलस्वरूप परियोजना के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन प्रारंभिक अवस्था में ही रहा। यह शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि अधिक ध्यान और अधिक समय मोनिटरिंग हेतु सूचना प्रबंध प्रणाली विकसित करने को दिया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से परियोजना के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रपत्र विकसित किए गए हैं। जिला तथा प्रखण्ड स्तर से सूचनाओं के प्रवाह हेतु प्रपत्रों में सूचना संप्रेषण की प्रणाली में कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है।

पारंपरिक प्रबंधन संरचना में मूल्यांकन हेतु सक्षम और जवाबदेह मात्र वरीय पदाधिकारी होते हैं जो कि पिरामिड आकार की प्रबंधन व्यवस्था में शीर्षस्थ स्थान पर भी होते हैं। ऐसी प्रबंधन व्यवस्था में मूल्यांकन के फलस्वरूप किसी भी गतिविधि को संशोधित करने की अंदरूनी क्षमता काफी सीमित होती है। परियोजना के तहत मूल्यांकन परम्परागत प्रबंधन व्यवस्था से हट कर निम्न प्रकार होगा -

(क) सभी कम्पोनेन्ट्स के स्तर पर मूल्यांकन को सतत एवं सृजनात्मक,

विकेन्द्रीकृत और परियोजना के आवश्यक मांग के रूप में विकसित की जाएगी ।

(ख) सभी कम्पोनेन्ट्स के स्तर पर समूहों में बैठकर सामूहिक रूप से गतिविधियों के विवरण, आंकलन और समस्याओं के निदान तथा भविष्य की कार्य योजना निर्माण पर बल दिया जाएगा ।

(ग) जहाँ एक ओर मूल्यांकन की आंतरिक धाराओं के विकास पर बल दिया जाएगा वहीं बाह्य व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों द्वारा भी परियोजना की गतिविधियों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं हेतु परियोजना कर्मियों के व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता को भी नकारा नहीं जा सकता । इस प्रकार जहाँ एक ओर वर्ष 94-95 में प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के सतत मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जाएगी ।

------0------

प्राथमिक शिक्षा

पृष्ठ भूमि-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पर गठित कार्यकारी समूह के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को सुनिश्चित करने हेतु त्रीआयामी प्रक्रिया सुझाई गई है।

(क) सर्वव्यापी पहुंच:- इस आयाम के तहत यह सुनिश्चित किया जाना है कि 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालक-बालिकाओं की पहुंच प्राथमिक शिक्षा तक हो सके। यह पहुंच औपचारिक विद्यालय व्यवस्था के तहत वैकल्पिक प्राथमिक शिक्षा के साधनों यथा अनौपचारिक शिक्षा और पार्ट टाइम शिक्षा कार्यक्रमों के तहत की जा सकती है।

(ख) सर्वव्यापी भागीदारी:- इस आयाम के तहत यह सुनिश्चित किया जाना है कि 14 वर्ष तक के आयु के सभी वर्गों के विशेषकर वंचित वर्गों के बच्चे-बच्चियां प्राथमिक शिक्षा में न केवल भाग ले अपितु सीखने की प्रक्रिया में नियमित और सक्रीय रूप से भाग लेकर प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करें।

(ग) सर्वव्यापी उपलब्धि:- इस आयाम के तहत यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्राथमिक शिक्षा में भाग लेने वाले सभी बच्चे बच्चियां क्रियागत कुशलताओं के उन स्तरों से प्राप्त करें जो राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत न्यूनतक अधिगम स्तरों के अनुरूप हों।

अब तक प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में अनेकों प्रयास किये है तथा यह देखा गया है कि जिले के भौतिक रूप से अलग थलग और दुर्गम स्थानों में अवस्थित अनुसूचित जाति जनजाति के गांवों और टोलों में भी प्राथमिक शिक्षा हेतु मांग विकसित हुई है तथापित कुछ ऐसे कारण है जिससे वे अभिभावक जो बच्चों को शिक्षित करने का महत्व समझते हैं परन्तु बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने नहीं भेजे जाते हैं। कुछ कारण निम्न प्रकार है:-

(क) बहुत बड़ी संख्या में टोलों और गांव विशेषकर कैमूर पहाड़ी के तलहटी और पहाड़ी पर अवस्थित गांव जहां प्राथमिक विद्यालय इतने दूर है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे-बच्चियों से अपेक्षा नहीं

की जा सकती है कि वे प्रतिदिन उस विद्यालय में जायेंगें । विशेषकर अपर प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए यह बातें खरी उतरती है। तथा बालिकाओं के लिए दूसरे गांव में जाकर अपने शिक्षा को जारी रख पाना संभव नहीं होता है ।

।ख। अनुमान के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग एक चौथाई बच्चे बच्चियाँ किसी न किसी तरह के जीविकोपार्जन संबंधी कार्य में संलग्न है । विशेषकर बालिकाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घर पर रहकर परिवार के कार्यों का निष्पादन करें तथा घर के छोटे बालक बालिकाओं की देखभाल करें ।

।ग। व्यवसायी बच्चे तथा बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय छोड़ चुके बच्चे अनौपचारिक शिक्षा के पर्याप्त प्रबंधन नहीं होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।

।घ। औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होने के कारण अभिभावक और बच्चे-बच्चियां हतोत्साहित होते हैं ।

।ङ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों में अभिभावकों की अशिक्षा तथा औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में संभावित व्यय के कारण भी बालक-बालिका शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ।

बिहार शिक्षा परियोजना के तहत उपर्युक्त सभी कठिनाईयों को देखते हुए प्राथमिक औपचारिक शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है तथा सोच यह है कि परियोजना द्वारा बनाये गये माहौल से अभिभावकों में अपने बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजने का दायित्व को बताना होगा। इस तरह जहां एक ओर परियोजना प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग पैदा करेगी वहीं दूसरी ओर परियोजना के तहत प्रारंभ की गई प्रक्रियाएं प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाओं के प्रति ग्रामीण समुदाय में आत्मविश्वास और जवाबदेही को जगायेगी ।

11- वर्ष 93-94 के लक्ष्य और उपलब्धि:-

बिहार शिक्षा परियोजना के तहत रोहतास जिले में प्राथमिक

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 93-94 में भौतिक और गुणात्मक सुधार के के लिए कतिपय ठोस प्रयास किये गये । सर्वप्रथम नामांकन को एक एक अभियान के रूप में लिया गया । औपचारिक शिक्षा पद्धति में सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लाने का ठोस प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप 21100 नये नामांकन लक्ष्य के विरूद्ध 47223 नामांकन हुए । जिनमें वंचित वर्गों के छात्र छात्राओं के नामांकन पर विशेष बल दिया गया । नामांकन में विषमताओं का भी विश्लेषण किया गया जिसमें वंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं के अलावा क्षेत्रीय विषमताओं का विश्लेषण आगामी सत्र के नामांकन को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

विद्यालयों में रीटेन्शन को बढ़ावा देने और छीजन को रोकने के लिए विद्यालय आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी 93-94 में किया गया । पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के चार केन्द्रों पर बुलाकर प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कियागया । इस अवसर पर स्थल पर आयोजित आयोजित चित्रकला, भाषण सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया । विद्यालय परिवेश में शिक्षा को और आकर्षक बनाने के लिए वृक्षारोपण का भी आयोजन कियागया । बाल दिवस मेलों का भी आयोजन कियागया ।

विद्यालय भवन निर्माण और मरम्मति के अन्तर्गत 25 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया । 100 विद्यालय भवन के मरम्मति का कार्य प्रारंभ किया गया । पांच विद्यालय भवन का निर्माण और 62 विद्यालय भवनों की मरम्मति पूर्ण कराई गई । अवशेष कार्य मार्च 93 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । इसी तरह शौचालय और पेयजल सुविधा हेतु भी विद्यालयों में शौचालय निर्माण निर्माण वो चापाकलों का अधिष्ठापन कराया गया । जिले में चयनित 500 विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापना, खेलकूद सामग्री और नवाचार शिक्षण सामग्री की आपूर्त्ति मार्च 93 तक सुनिश्चित की जायेगी । जिले के सभी 1500 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में श्याम पटों की आपूर्त्ति मार्च 93 तक पूर्ण हो जायेगी ।

विद्यालयों के प्रबंधन से गांवों को जोड़ने तथा ग्रामीण

ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति भागीदारी और जवाबदेही उत्पन्न करने की दृष्टि से अब तक 277 ग्रामीण शिक्षा समितियों का गठन किया गया । इस क्षेत्र में और अधिक फैलाव अपेक्षित है ।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 9 बालिका मध्य विद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है । मार्च 93 से इस कार्यक्रम का विस्तार 100 न्यूनतम अधिगम स्तर के विद्यालयों में किया जायेगा । न्यूनतम अधिगम स्तर के विद्यालयों में पदस्थापित अधिकांश शिक्षकों को 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा सभी 100 विद्यालयों में पूर्व परीक्षण परीक्षा आयोजित कराये जा चुके हैं ।

III- कार्य योजना 94-95

वर्ष 94-95 के कार्य योजना में तीन मुख्य आयामों पर बल दिया जायेगा ।

(क) चयनित प्रखंडों में 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालक बालिकाओं का प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के तहत पूर्ण आच्छादन ।

(ख) 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल ।

(ग) प्राथमिक विद्यालयों की निरीक्षी व्यवस्था को परिवर्तित और सुदृढ़ करना ।

1. वर्ष 94-95 की कार्य योजना में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता देते हुए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन तथा अवरोधन रोकने के प्रयास पर बल दिया गया है । इसके लिए प्राथमिक शिक्षामें क्रमशः गुणात्मक विकास पर ध्यान दिया गया है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयों को आकर्षक वातावरण प्रदान करने, भवनों की दशा में सुधार, भवन विहिन विद्यालयों में भवन निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय तथा उपस्कर आदि की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है ।

2. साथ ही प्रबंधन में स्थानीय सहयोग प्राप्तार्थ ग्राम शिक्षा का गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है । ग्राम शिक्षा समिति तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्प

कमजोर वर्गों के छात्रों तथा छात्राओं के नामांकन के प्रतिशत मे वृद्धि की जाने का लक्ष्य है । सही स्थिति के आकलन हेतु विस्तृत नामांकन के आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

3. इन सभी बिन्दुओं के अलावे विद्यालयों में शिक्षण के गुणात्मक विकास हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, शिक्षण सामग्रियों को उपलब्ध कराना होगा । साथ ही शिक्षकों के पुर्नशिक्षण की व्यवस्था में तीव्र गति लानी होगी । विशेषकर प्रशिक्षणाध्यापकों के साथ शिक्षण से जुड़े व्यक्तियों को भी नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना होगा ।

4. रोहतास जिले में प्राथमिक शिक्षण के शिक्षकों की कमी की समस्या है अतः नई नियुक्तियों में प्रक्रियागत कारणों से विलंब हो रहा है । अतः इसके लिए फिलहाल शिक्षक इकाईयों का पुर्नवितरण करना प्राथमिकता आधार पर करना या अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर करनी होगी ।

वर्ष 94-95 में क्रियान्वयन की रणनीति:-

1. ग्राम शिक्षण समिति:-

शिक्षक एवं छात्र नियमित रूप से विद्यालय मे उपस्थित हो तथा विद्यालय के भवनों तथा अन्य सामानों का रख-रखाव ठीक समुचित ढंग से हो सके इसके लिए आवश्यकता है कि ग्राम शिक्षण समिति के गठन के साथ उनके सदस्यों को मौजूदा चुनौती को सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जाय तथा उन्हें अधिकार दिए जाय । इसके लिए 500 नये ग्राम शिक्षण समितियों के गठन का लक्ष्य 94-95 में रखा गया है और प्रत्येक ग्राम शिक्षणसमिति को दो सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस प्रकार प्रयास किया जायेगा कि विद्यालयों की गतिहीनता एवं सामाजिक उदासीनता को दूर करे शिक्षण की कोटि में सुधार लाया जायेगा ।

2. नामांकन:-

केवल नामांकन लक्ष्य नहीं होगा बल्कि नामांकन की अपेक्षण अवरोध पर बल दिया जायेगा । इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन पर शिक्षण कोटि के स्तर में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जायेगा ।

साथ ही नामांकन का लक्ष्य 94-95 में 52,00 रखा गया है । यह नामांकन विशुद्ध नामांकन होगा न कि कुल नामांकन बाल पंजी को अद्यतन हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाया जायेगा । शिक्षक-अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा । अवरोधन के कारणों को दूर किया जायेगा ।

3. न्यूनतम अधिगम स्तर:-

इस योजना के तहत एक कार्य योजना तैयार की जायेगी । जिसके तहत आंकड़ों का संकलन, पूर्व परीक्षा, टेस्ट आईटम का निर्माण, शिक्षकों का प्रशिक्षण नामांकन एवं छीजन की स्थिति की जानकारी, गुणात्मक सुधार की केस स्टडी तैयार किया जायेगा । सभी विद्यालयों को शिक्षक पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी ।

इस योजना के मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा । गुणात्मक प्रगति की समीक्षा साधन सेवियों से समय-समय पर करायी जायेगी । इस 100 नये विद्यालय इस कार्यक्रम के तहत चयनित किए जाने का लक्ष्य है ।

4. शिक्षकों के साथ बैठक:-

जिला स्तर पर वर्ष में दो सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष 93-94 में भी शिविरों का आयोजन कर शिक्षकों की नीजि तथा विद्यालयीय समस्याओं का तत्काल निवारण किया जायेगा । गुरू गोष्ठियों को प्रभावकारी बनाने के लिए राज्य स्तर से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

5. शिक्षक इकाईयो का पुर्न वितरण:-

यह कार्य 93-94 मे नहीं हो सका लेकिन इस वर्ष इसे पूरा किया जायेगा ।

6. इनोवेटिव स्कूल सामग्री:-

गत वर्ष 500 विद्यालयों को इनवेटिव सामग्री आपूर्ति का लक्ष्य था । इस वर्ष 600 विद्यालयों को इनोवेटिव सामग्री, खेलकूद के सामान, उपस्कर, पुस्तकालय स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

7. भवन निर्माण, शौचालय, पेयजल:-

इस वर्ष 93-94 में 57 नये विद्यालय भवनों के निर्माण का

लक्ष्य पूरा हो जाने पर कुल 62 नये भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस प्रकार 94-95 में कुल 140 विद्यालय बनाकर 95-96 तक 50 विद्यालय बन जायेंगे तथा जिले में कोई भवन विहिन विद्यालय नहीं रहेगा । महज शहरी क्षेत्र के विद्यालय जिनके पास जमीन नहीं है भवन विहिन रह जायेंगे । इसी प्रकार 93-94 में 128 विद्यालयों को शौचालय की सुविधा प्रदान कर दी जायेगी । अगले 94-95 में दो सौ विद्यालयों में शौचालय की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

वर्ष 93-94 में 320 विद्यालयों को पेयजल की सुविधा प्रदान कर दी जायेगी और 94-95 में और 320 विद्यालयों को पेयजल की व्यवस्था करने का लक्ष्य है ।

8. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम:-

वर्ष 94-95 में प्रत्येक विद्यालय के छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य जांच छः महीने पर कर लेने का लक्ष्य रखा गया है । गत वर्ष 100 चयनित विद्यालयों को फर्स्ट एड किट्स की आपूर्ति का लक्ष्य था इस वर्ष 200 अन्य विद्यालयों को फर्स्ट एड किट्स उपलब्ध कराया जायेगा ।

स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय बैठक बुलाकर दी जायेगी । इसके लिए गैर सरकारी/सरकारी डाक्टर की सेवा ली जाय । साथ ही स्वास्थ्य पुस्तिका तैयार कर वितरित किया जायेगा ।

IV- वर्ष 94-95 में भौतिक एवं गुणात्मक परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए-

1. नामांकन:-

6-14 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों का सर्वेक्षण के आधार पर बाल पंजी का अधतन किया जायेगा । अभिभावकों से सम्पर्क कर उनमें शिक्षा के प्रति आस्था पैदा कर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए उत्प्रेरित किया जायेगा । विशेषकर वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय परिवेश एवं परिसर को स्वच्छ बनाया जायेगा । विद्यालय में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व, महापुरूषों की जयन्तियां शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी आदि

आयोजित कर विद्यालयीय वातावरण को शैक्षिक एवं आकर्षक बनाया जायेगा । शिक्षक एवं छात्र को समर्पनिष्ठ बनाने हेतु कदम उठाया जायेगा। वर्ग प्रबंधन में वंचित वर्गों के बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्प्रेरित किया जायेगा । बच्चों के जीवन रक्षा एवं विकास के लिए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जायेगी इन सब क्रियाओं को सफलता के लिए कैलेन्डर तैयार किया जायेगा । नामांकन वृद्धि के लिए वंचित वर्ग के छात्रों एवं सभी वर्ग के छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण किट्स उपलब्ध कराया जायेगा ।

2. सृजनात्मक कार्य:-

- विद्यालय में वृक्षारोपण एवं उद्यान के लिए बच्चों में अभिरूचि पैदा की जायेगी ।
- बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ताकि सामाजिक रीति रिवाजों का सही पर्यवेक्षण कर सकें ।
- बच्चों को कहानी एवं कविता पाठ के प्रति अभिमुख करना ।
- देखा जाता है कि बच्चे घर पर मिट्टी से बैल आदि खिलौने बनाते है । विद्यालय में इसकी सुविधा देकर घर का वातावरण बनाकर बच्चों के विद्यालय में उपस्थित होने के लिए आकर्षण पैदा किया जायेगा ।

3. ग्राम शिक्षा समिति:-

ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय विकास के प्रति उन्मुख किया जायेगा ताकि विद्यालयों के सामानों के रख-रखाव तथा शिक्षकों को शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता नहीं होने देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का संगठन आवश्यक है । विद्यालयीय प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण हेतु ग्राम शिक्षा समिति गठन एवं अधिकार सम्पन्न होना आवश्यक है ।

4. निरीक्षण:-

निरीक्षकों का कार्य मुख्यतः निरीक्षित समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना प्रशासक, विचारक और पथ प्रदर्शक का कार्य करना है । शिक्षा के परिपेक्ष्य में निरीक्षण उत्तरोत्तर औपचारिक होकर रह गए है । यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि निरीक्षी पदाधिकारियों अपने क्षेत्राधिकार के सभी विद्यालयों का निरंतर विस्तृत निरीक्षण कर

सकें । अतः परियोजना के परिपेक्ष्य में यहां एक ओर निरीक्षण की गुणवत्ता पर बल दिया जायेगा वहीं दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समितियां द्वारा भी विद्यालयों के प्रतिदिन सतत् निरीक्षण की व्यवस्था को सरकार द्वारा अधिकृत रूप दिया जाय ।

वर्ष 94-95 में यह व्यवस्था की जाएगी कि जब भी निरीक्षक विद्यालय में जाएं तो ग्राम में उपलब्ध ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करें तथा विद्यालय तथा शिक्षकों के क्रिया-कलापों की जानकारी प्राप्त करें । ग्राम शिक्षा समिति में यह विश्वास उत्पन्न होने से कि उनके सुझावों पर कार्यवाही समयबद्ध रूप से होती है वे भी विद्यालय के विकास में गहरी अभिरूचि लेगें । इससे सहभागिता भी बढ़ेगी ।

निरीक्षी पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अभिभावक शिक्षक गोष्ठी में नियमित रूप से भाग लें तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों में भी भाग लें तथा इस बैठकों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदनों में विद्यालय की प्रक्रियाओं में सुधार हेतु सुझाव दें ।

निरीक्षी पदाधिकारी नियमित रूप से गुरू गोष्ठी में भी भाग लेगें तथा गुरू गोष्ठी को केवल प्रशासनिक समस्याओं की अभिव्यक्ति का साधन न बना कर उसमें नवीनतम शिक्षण पद्धति से भी शिक्षकों को अवग राएगें ।

वर्तमान में केवल प्रशासनिक पहलुओं पर केन्द्रीत निरीक्षण को परिवर्तित कर शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण पर भी बल दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना के तहत प्रदत्त उपादानों और पशिक्षण का वांछित प्रभाव हुआ है अथवा नहीं । निरीक्षण में वर्गों में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि शिक्षकों की अभिवृति श्याम पट का उपयोग, छात्रों की क्रियाशीलता, छात्र केन्द्रित शिक्षण विधि, न्यूनतम अधिगम स्तर आदि की भी जांच की जाएगी ।

5. गुरू गोष्ठी:-

प्रत्येक माह में शैक्षिक अंचल स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए गुरू गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जिसमें

विभागीय सूचनाओं से शिक्षकों को अवगत कराया जाता है । वर्तमान में गुरू गोष्ठियों का उपयोग शैक्षणिक वातावरण के सुधार हेतु नहीं हो पता है ।

वर्ष 94-95 में गुरू गोष्ठियों का एक रोस्टर पूर्व से निर्धारित कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा । प्रत्येक गुरू गोष्ठी में बिहार शिक्षा परियोजना के एक विषय सलाहकार निश्चित रूप से भाग लेंगे तथा अपने विषय की जानकारी देंगे । गुरू गोष्ठी में आदर्श पाठ प्रस्तुत करने के लिए पुरस्कृत शिक्षकों को कहा जाएगा । गुरू गोष्ठी में ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षक तथा प्रशिक्षित शिक्षक अपने अनुभवों को भी प्रस्तुत करेंगे । गुरू गोष्ठी में शिक्षकों की स्थापना संबंधी समस्याओं के निदान का भी प्रयास किया जायेगा । इस प्रकार जहां एक ओर गुरू गोष्ठियों का उपयोग सृजनात्मक गतिविधियों के लिए किए जाएगा वहीं उनका प्रयोग 21 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षित शिक्षकों से सतत सम्पर्क तथा उनकी अभिवृत्ति की समीक्षा के लिए भी किया जाएगा ।

6. मूल्यांकन:-

मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मासिक मूल्यांकन कर सुधारात्मक कार्यों की ओर निर्देश दिया जाएगा । इसके लिए क्षेत्र की शिक्षा से जुड़े रहने वाले पूर्व शिक्षकों तथा निरीक्षकों की कार्यशाला आयोजित कर मूल्यांकन को प्रभावकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा ।

IZI- वर्ष 94-95 में नवाचार:-

1. नवाचार प्रयोगों के लिए शीर्ष कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा । इसके लिए पर्याप्त राशि का आवंटन 94-95 के बजट में प्रस्तावित है । नवाचार प्रयोगों के निरंतरता के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है ।

2. पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों तथा मंद बुद्धि के छात्रों को शिक्षण के लिए शिवसागर प्रखंड में कतिपय पंचायतों में एक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के शिक्षकों को कार्यशाला आयोजित कर विशेषज्ञ शिक्षकों को आमंत्रित कर शिक्षण विशेष पद्धति से परिचित कराया जायेगा ।

साथ ही इस विषय पर उपलब्ध पुस्तकें खरीदकर साधन सेक्षियों को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. विद्यालय के वार्षिक योजना एवं व्यवस्था तैयार करायी जायेगी । ये योजनाएं सहभागिता के आधार पर तैयार की जायेगी । आर्थिक वर्ष के प्रारंभ के पूर्व एक प्रखंड शिक्षासागर में यह व्यवस्था लागू करने के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा ।

5. कतिपय साधनसेवी अल्प व्ययी शिक्षण साधन तैयार करने की विधि का प्रशिक्षण भुवनेश्वर में प्राप्त किए है । इस व्यवस्था का महत्व इसलिए है कि इस साधन विहिन राज्य में यूनिसेफ कार्यक्रम बंद हो जाने के बाद भी हम अपने शिक्षण साधनों को उपलब्ध करा सकेंगें ।

7. प्राथमिक विद्यालयों के स्तर में सुधार के लिए प्रखंड स्तर पर एक शैक्षिक समिति या परिचालन समिति का गठन किया जायेगा । जो प्रखंड के विद्यालयों के भौतिकी एवं शैक्षणिक विकास के लिए उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में परामर्श देंगे । इस समिति में प्राथमिक/उच्च विद्यालयों के प्रधान या पूर्व प्रधान रहेंगें । इसके सचिव प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रहेंगें । यह समिति प्रखंड स्तर पर विद्यालयों की भौतिक एवं शैक्षिक समस्याओं को तैयार करेगें और जिला स्तर पर विद्यालय शिक्षा परियोजना को सूचित करेगें ।

10. वर्ष 94-95 तक नौहट्टा, सासाराम, करगहर, रोहतास प्रखंड के 6-14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को विद्यालय भेजने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन सभी प्रखंडों में सभी ग्राम शिक्षा समिति गठित कर ली जायेगी । औपचारिक एवं अनौपचारिक केन्द्र एवं नीजि विद्यालयों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । नीजि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा ताकि स्थिति का सही आंकलन किया जा सके ।

11. विद्यालय संकुल:- शिक्षा संबंधी योजना और व्यवस्था पद्धति को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विद्यालय-संकुल को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है । विद्यालय संकुल की क्रियान्वयन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें विभिन्न संस्थाओं में

सह क्रियात्मक सहयोग स्थापित की जा सके और शिक्षकों में शैक्षिक भावना प्रेरित की जा सके । अध्ययन, अध्यापन, प्रक्रिया संकुल परिवार के सहयोग से उत्तम बनाया जा सकता है ।

ऊपर सह क्रियात्मक सहयोग की बात की गयी है-सह क्रिया क्या है?

दो या उससे अधिक क्रियाशीलनो या गतिविधियों को एक साथ मिलाना । विद्यालय संकुल के मुख्य मुद्दे है- विकेन्द्रीकरण, भागीदारिता एवं स्वायत्तता ।

8-10 विद्यालयों का एक समूह निम्नतम इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिसमें विभिन्न विद्यालय संसाधनों, व्यक्तियों शिक्षण सामग्री एवं साधनों आदि का मिल-जुलकर उपयोग कर सकेंगे एवं एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

संकुल व्यवस्था के मुख्य आयाम निम्न होंगे:-

1. विद्यालय न जाने वाले बच्चों एवं लोगों के अनौपचारिक शिक्षण केन्द्रों सहित पोषक विद्यालयों की संख्या ।

2. मुख्य विद्यालय से अन्य शिक्षण केन्द्रों की दूरी 5 कि0मी0 होनी चाहिए ।

3. स्टाफ, उपस्कर आदि की योगदान क्षमता को ध्यान में रखा जाय ।

4. शैक्षिक स्तर तथा प्रशासनिक क्षमा को ध्यान मे रखा जाय ।

5. इस व्यवस्था से शिक्षकों की व्यवसायगत समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा ।

6. शिक्षको की गोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शन फिल्म का आयोजन किया जा सकेगा ।

7. डायट द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या का प्रावधान किया जा सकेगा ।

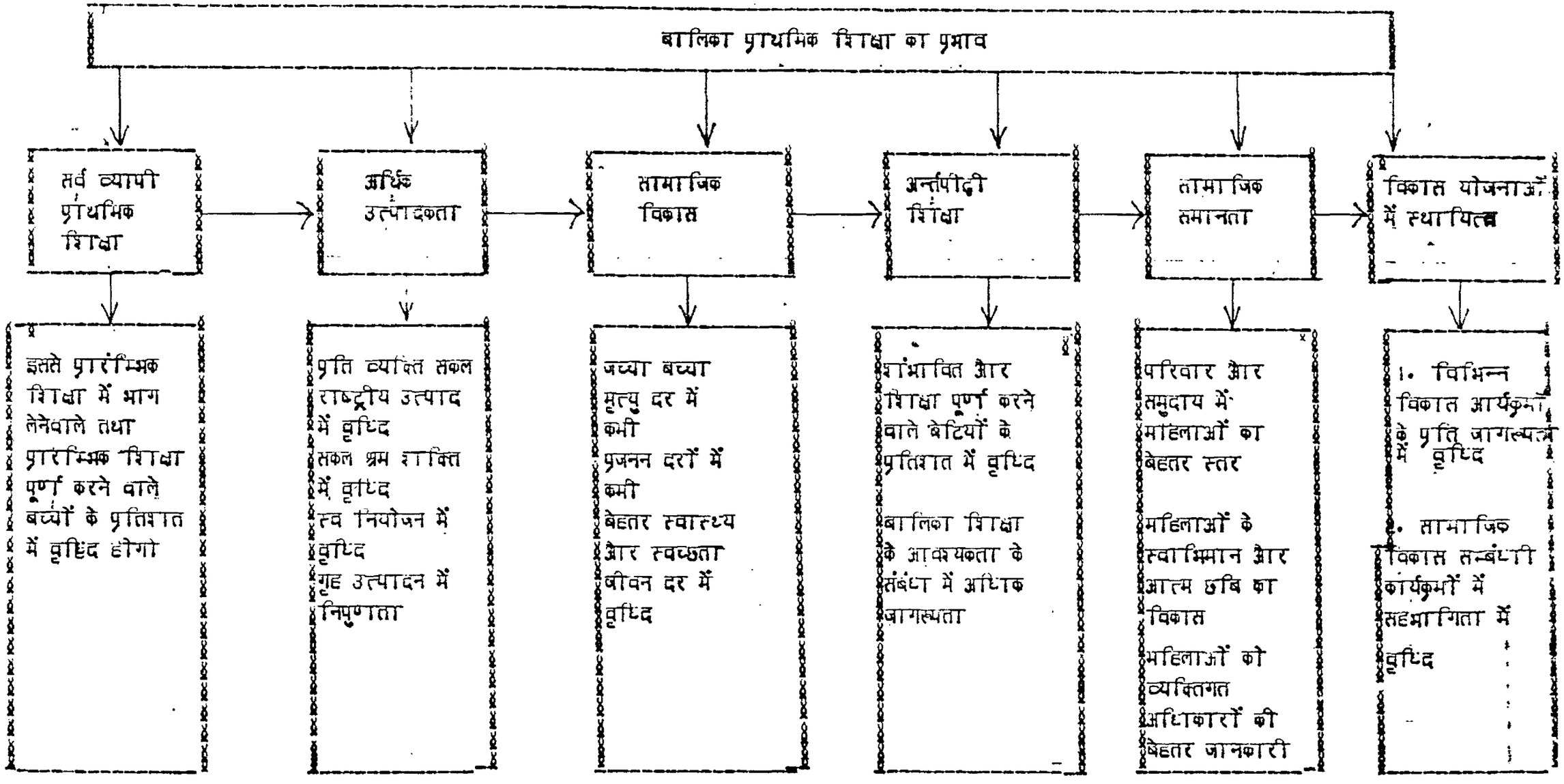
बालिका प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव
सर्व व्यापी प्राथमिक शिक्षा
अधिक उत्पादकता
सामाजिक विकास
अन्तर्पीढ़ी शिक्षा
सामाजिक समानता
विकास योजनाओं में स्थायित्व
इससे प्रारंभिक शिक्षा में भाग लेनेवाले तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों के प्रतिशत में वृध्दि होगी
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृध्दि
सकल श्रम शक्ति में वृध्दि
स्व नियोजन में वृध्दि
गृह उत्पादन में निपुणता
जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी
प्रजनन दरों में कमी
बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता
जीवन दर में वृध्दि
शांभावित और शिक्षा पूर्ण करने वाले बेटियों के प्रतिशत में वृध्दि
बालिका शिक्षा के आवश्यकता के संबंधा में अधिक जागरूकता
परिवार और समुदाय में महिलाओं का बेहतर स्तर
महिलाओं के स्वाभिमान और आत्म छबि का विकास
महिलाओं को व्यक्तिगत अधिकारों की बेहतर जानकारी
1. विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता में वृध्दि
2. सामाजिक विकास सम्बंधी कार्यक्रमों में सहभागिता में वृध्दि

विद्यालय भवन [illegible], लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष 93-94

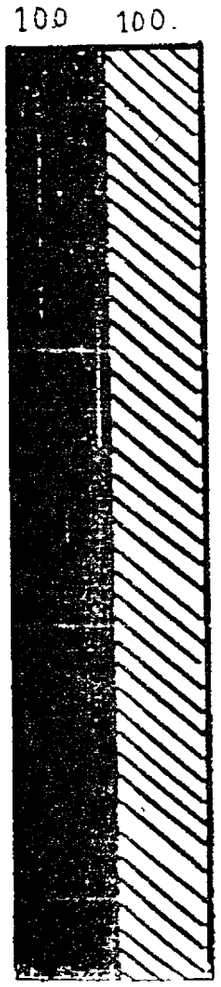

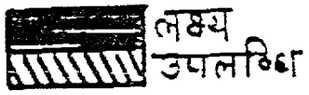

प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, लक्ष्य [illegible]

वर्ष 93-94

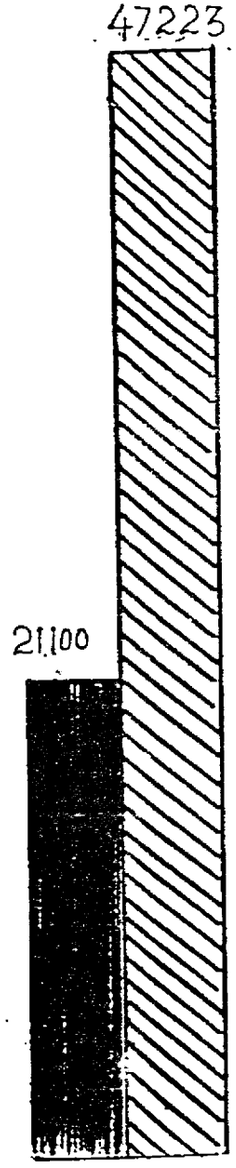

ब्लैक बोर्ड वितरण, लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष- 93-94

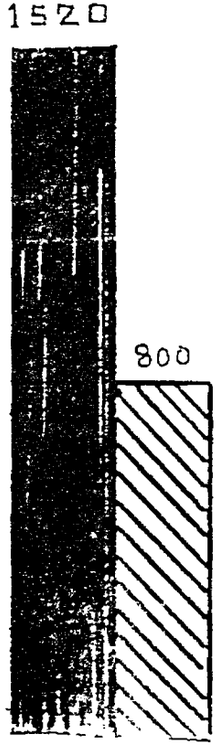

दस दिवसीय एवं ग्यारह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण

वर्ष 93-94

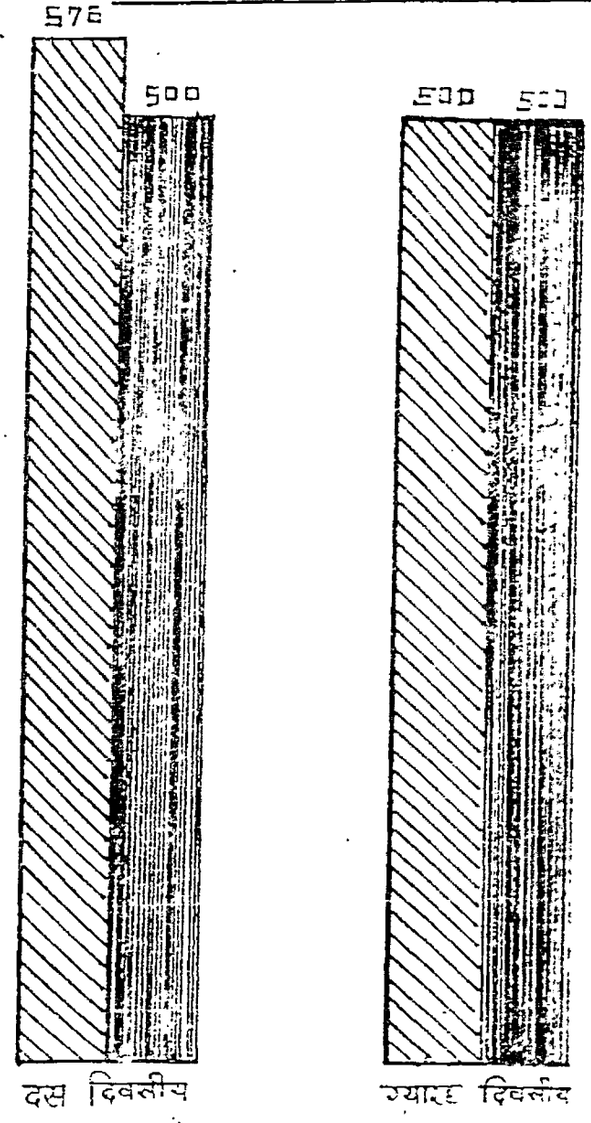

प्रशिक्षण

1-पृष्ठ भूमि:-

बिहार शिक्षा परियोजना प्रारम्भ होने के पूर्व के शिक्षा के परिदृश्य में यह स्पष्ट था कि शिक्षा में ह्रास आने के फलस्वरूप राज्य में अवस्थित प्रशिक्षण गतिविधियाँ भी गम्भीर रूप से प्रभावित हुयी थी तथा प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रभाव धीरे-धीरे समाप्त हो रहा था । इसी लिए यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि शिक्षकों के सतत सेवाकालीन प्रशिक्षण, पुर्नप्रशिक्षण और आवासीय प्रशिक्षण हेतु व्यापक व्यवस्था की जाय ।

2. बिहार शिक्षा परियोजना के तहत प्रशिक्षण को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। परियोजना के कार्यान्वयन में संलग्न कर्मियों की क्षमता, प्रतिबद्धता, विषयपरक ज्ञान और उनके मोटिवेशन में अभिवृद्धि लाने हेतु नियमित प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता । परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मियों की श्रेणियों तथा संख्याओं के फैलाव में उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना है। प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मियों की मुख्य श्रेणियाँ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा विभाग को निरीक्षी पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के दक्ष प्रशिक्षक, अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक और पर्यवेक्षक , अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण के दक्ष प्रशिक्षक और साधनसेवी , महिला समाख्या की सहयोगिनी , सखी और सहेलियाँ, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य आदि की है । इतनी अधिक श्रेणियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण तंत्र और प्रक्रियाओं को और अधिक विकसित कर प्रभावी बनाया जाय।

3. प्रशिक्षण क्यों?

बिहार शिक्षा परियोजना अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रक्रिया के लक्ष्य निम्नांकित होंगे :-

(क) सभी परियोजना कर्मियों को परियोजना के लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित विहित प्रक्रियाओं की ओर उन्मुख करना

(ख) परियोजना कर्मियों की सक्रिय भागीदारी विभिन्न कम्पोनेन्ट्स की सुनियोजित प्लानिंग और कार्यान्वयन में सुनिश्चित करना

(ग) परियोजना कर्मियों और सम्बद्ध व्यक्तियों की परियोजना और उसके लक्ष्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना

(घ) विषयगत कुशलताओं को अपग्रेड करना तथा दक्षताओं का विकास करना।

4. प्रशिक्षण कैसे?

बिहार शिक्षा परियोजना राज्यस्तर के तहत प्रशिक्षण की प्रक्रिया के मुख्य उपादान निम्न होंगे ।

(क) प्रशिक्षण को "एक बार" तक सीमित प्रक्रिया न मानकर एक सतत प्रक्रिया मानना। क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ प्रशिक्षण के प्रभाव क्षीण होने की संभावना होती है अतः नियमित पुर्नप्रशिक्षण और रिफ्रेशर प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा ।

(ख) शिक्षक समूहों, सम्प्रदाय, इच्छुक संगठनों/संस्थाओं का सतत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षण प्रक्रिया आवश्यकता आधारित, विकेन्द्रीकृत और परिणाम आधारित बनाई जाएगी ।

(घ) प्रशिक्षण की योजना, कार्यान्वयन तथा उसके आकलन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी । प्रशिक्षण के आकलन का उपयोग सुधारात्मक प्रक्रिया के रूप में किया जाएगा।

5. प्रशिक्षण किसका?

वर्ष 94-95 में निम्नांकित श्रेणियों को निम्न संख्या में प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

1.	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का 21 दिवसीय प्रशिक्षण-	1800
2.	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण-	100
3.	निरीक्षी पदाधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण-	25
4.	दक्ष प्रशिक्षक प्राथमिक शिक्षा हेतु-	4
5.	अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का 12+8+10 दिवसीय प्रशिक्षण-	1200
6.	अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण-	100
7.	अनौपचारिक शिक्षा साधनसेवियों का 5 दिवसीय प्रशि0-	5
8.	अनौपचारिक शिक्षा दक्ष प्रशिक्षकों का 12 दिवसीय प्रशि0-	30
9.	सहेलियों को जगजगी केन्द्र चलाने हेतु प्रशिक्षण-	120
10.	सहयोगिनियों का प्रशिक्षण पन्द्रह दिवसीय	15
11.	सखियों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण-	320

6. परियोजना की अबतक की उपलब्धियाँ:-

वर्ष 91-92 में बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास द्वारा जिले के सेवारत प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रथम चरण का 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। वर्ष 91-92 में जिले में परियोजना अन्तर्गत प्रशिक्षण गतिविधियाँ शैशव अवस्था में थी तथा इस वर्ष में शिवसागर प्रखण्ड के कुल 28 शिक्षकों को 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना के साधन सेवियों द्वारा प्रदान किया गया।

वर्ष 92-93 में यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षक प्रशिक्षण की व्यापक आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण की जवाबदेही के लिए बाहर के साधन सेवियों पर नहीं छोड़ी जा सकती है तथा यह आवश्यकता महसूस की गयी कि जिले के भीतर ही प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए साधन सेवी तैयार किए जाय। इस सोच के आलोक में वर्ष 92-93 में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सासाराम व जिले के अन्य माध्यमिक विद्यालयों के 11 योग्य शिक्षकों को साधन सेवी के रूप में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 92-93 में ही जिले के चिन्हित दो प्रशिक्षण केन्द्र प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय डेहरी सासाराम तथा श्री शंकर इन्टर स्तरीय विद्यालय, तकिया में इन 11 साधन सेवियों द्वारा जिले के सभी प्रखण्डों के कुल 481 शिक्षकों को 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 92-93 के अंतिम तीमाही में प्रशिक्षण कार्य के सफल एवं प्रभावी संचालन हेतु 16 और शिक्षकों को साधनसेवी के रूप में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना द्वारा प्रशिक्षित किया गया इस प्रकार वर्ष 92-93 के अन्त में जिला स्तर पर प्राथमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण हेतु कुल 27 साधन सेवी उपलब्ध हो गए जिन्हें बारी-बारी से प्रशिक्षण कार्य में प्रयोग किया जाने लगा।

वर्ष 93-94 में प्राथमिक स्तरीयशिक्षकों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण का लक्ष्य 500 शिक्षकों का रखा गया। इस लक्ष्य के विरुद्ध कुल 576 शिक्षकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 93-94 में ही दूसरे चरण का 11 दिवसीय प्रशिक्षण कुल 323 शिक्षक-शिक्षिकाओं को दिया जा चुका है। मार्च, 93 को समाप्ति तक 480 और शिक्षक-शिक्षिकाओं को दूसरे चरण के प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार 93-94 को समाप्ति तक 10 दिवसीय प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या 1085 हो जायेगी और 21 दिवसीय प्रशिक्षित शिक्षकों की कुल संख्या 800 हो जायेगी।

वर्ष 93-94 में ही न्यूनतम अधिगम स्तर कार्य योजना के अन्तर्गत चयनित 100 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की जानकारी देने हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कुल 80 प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया । पुनः न्यूनतम अधिगम स्तर के ही 10 दिवसीय प्रशिक्षित अध्यापकों की अभिवृत्ति में बदलाव के संबंध में जाँच भी की गयी । अभिवृत्ति में वांछित बदलाव का मूल्यांकन 86 न्यूनतम अधिगम स्तर के विद्यालयों में प्रशिक्षणोपरान्त औचक जाँच के रूप में किया गया। जाँच के आँकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षकों की अभिवृत्ति और अधिगम स्तर में धनात्मक परिवर्तन आये हैं ।

वर्ष 93-94 में ही विज्ञान एवं गणित की ओर शिक्षकों का रूझान पैदा करने हेतु एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें कुल 38 शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया।

7- वर्ष 94-95 की रणनीति:-

वर्ष 94-95 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं का व्यापक फैलाव तो दिया जायेगा साथ ही साथ प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उपरान्त फोलोअपर कार्यवाही पर भी बल दिया जायेगा।

यह उल्लेखनीय है कि रोहतास जिला में वर्तमान में कुल पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 4602 है। यह आवश्यक है कि इनमें से अधिकांश शिक्षकों को वर्ष 94-95 में आच्छादित किया जाय।

वर्ष 94-95 में प्रशिक्षण हेतु कुल कार्य दिवस 9 माह की अवधि मानी जा रही है । इस 9 माह की अवधि के दौरान 21 दिवसीय कुल 13 प्रशिक्षण चर्याएं प्रस्तावित हैं । ये 13 प्रशिक्षण चर्याएं प्रशिक्षण केन्द्र शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सासाराम/डायट, श्री शंकर इन्टर स्तरीय विद्यालय तकिया और डायट के उपकेन्द्र पो.पो.टी.एल. अम्झोर में आयोजित की जायेगी । डायट परिसर सासाराम में आवश्यक मरम्मति कर इसे एक समय में दो चर्याएं चलाने योग्य बना दिया जायेगा। तकिया केन्द्र तथा डायट उप केन्द्र अम्झोर में एक समय में एक-एक चर्याएं ही संचालित की जायेगी । प्रत्येक चर्या में गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु 35 शिक्षक-शिक्षिकाओं से अधिक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी । इस प्रकार एक साथ चार चर्याओं में 35 शिक्षक प्रति चर्या की दर से 140 प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 94-95 के अन्त तक 13 चर्याओं में कुल 1820 शिक्षक 21 दिवसीय प्रशिक्षण पा लेंगें ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि वित्तीय वर्ष 94-95 के अन्त तक जिले में प्रशिक्षित प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों की कुल संख्या 1085+ 1820=2905 हो

जायेगी तथा वर्ष के अंत में 4602-2905=1697 शिक्षक 21 दिवसीय प्रशिक्षण से आच्छादित नहीं हो पायेंगे। लेकिन यदि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु व्यापक भागीदारी की परिकल्पना होती तो ऐसी स्थिति में इन 1697 शिक्षकों को परियोजना के दायरे से अछूता रखना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।

यह प्रस्ताव है कि इन 1697 शिक्षकों को प्रयोगात्मक रूप में छोटे प्रशिक्षणों का आयोजन कर विषयगत विडियो मोड्यूल और ऑडियो मोड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह भी प्रस्ताव है कि कुछ प्रखण्डों के स्तर पर कुछ ऐसे मध्य विद्यालयों का चयन किया जा सकता है जिनमें परिसर, पेयजल आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों तथा इन चयनित मध्य विद्यालयों के परिसरों का उपयोग उस प्रखण्ड के वे शिक्षक जो कि 21 दिवसीय प्रशिक्षण से आच्छादित नहीं हो पाये हैं को कम अवधि का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। इस कम अवधि के आवासीय विषयगत प्रशिक्षण में मुख्यतः दृश्य और श्रव्य सामग्री का ही उपयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के सेवानिवृत व्याख्याताओं का उपयोग भी इस प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था अपनाने से प्रशिक्षण का फैलाव बढ़ेगा ।

वर्तमान में जिले के प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपलब्ध साधन सेवियों की संख्या 27 है। एक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक चर्या के दौरान भाषा, गणित, विज्ञान एवं समाज अध्ययन के लिए एक-एक साधनसेवियों की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष 94-95 में यह आवश्यक होगा कि विज्ञान में दो अतिरिक्त शिक्षकों को, गणित में एक अतिरिक्त और भाषा में एक अतिरिक्त शिक्षक को साधन सेवी के रूप में प्रशिक्षित किया जाय। यह प्रशिक्षण राज्य शिक्षा व शोध और प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा दिया जायेगा। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में जिला में पर्यावरण, समाज अध्ययन के साधन सेवियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है जबकि विज्ञान, गणित और भाषा में साधन सेवियों की कमी है ।

परियोजना की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षकों को दो चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । प्रथम 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण तथा द्वितीय 11 दिवसीय विषयनिष्ठ प्रशिक्षण अर्थात प्रत्येक प्राथमिक स्तरीय शिक्षक को कुल 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करता है । किसी भी शिक्षक के शैक्षणिक जीवन में मात्र 21 दिनों का ही प्रशिक्षण पर्याप्त प्रतीत नहीं होता । उनके ज्ञान को निरंतर तरोताजा रखने के लिए सतत् प्रशिक्षण आवश्यक है । सतत्

प्रशिक्षण शिक्षकों की कार्य कुशलता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है। अतः यह प्रस्ताव है कि 21 दिवसीय प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आगामी वर्षों में 4 से 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन प्रत्येक 6 माह की अवधि में किया जाय।

शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा निरीक्षी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जायेगा । बिहार शिक्षा परियोजना के आलोक में शिक्षा विभाग के निरीक्षी पदाधिकारियों की भूमिका में बदलाव आया है फलस्वरूप उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गयी है । परियोजना अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों की शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन और अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षी पदाधिकारियों को बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रमों और उद्देश्यों से भलीभाँति अवगत कराया जाना आवश्यक है ।

निरीक्षी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के क्रम में निरीक्षी पदाधिकारियों को बिहार शिक्षा परियोजना के विभिन्न आयामों के संबंध में जानकारी बिहार शिक्षा परियोजना के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय परिसरों के निरीक्षणों में प्रतिवेदित स्वरूप की जानकारी, गुरू गोष्ठियों के शैक्षणिक प्रयोग, विद्यालय संकुलों को शैक्षणिक आदान-प्रदान हेतु प्रभावी व्यवस्था के रूप में कार्यरत करना, विद्यालय के उन्नयन के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करना आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों और निरीक्षी पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गनिर्देश भी निर्गत किए जायेंगे ।

8. अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण:-

वर्ष 94-95 में परियोजना अन्तर्गत कुल 1000 नये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे । ये 1000 नये केन्द्र वर्ष 93-94 के अन्त तक कार्यरत हो जाने वाले 50। अनौपचारिक केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे ।

इस प्रकार वर्ष 94-95 में संचालित किए जाने वाले नये 1000 केन्द्रों के लिए ड्राप आउट्स की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कुल 1200 अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी । इन अनुदेशकों को 3 चरणों में 12 दिवसीय, 8 दिवसीय और 10 दिवसीय कुल 30 दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध करना अनिवार्य है ।

अनौपचारिक शिक्षा के इस व्यापक फैलाव को देखते हुए इतना तो स्पष्ट है कि बहुत अधिक मात्रा में अनुदेशकों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना पाना किसी भी केन्द्रीकृत प्रणाली के तहत सम्भव नहीं होगा। अतः अनौपचारिक

शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण को विकेन्द्रीकृत करने का प्रस्ताव है ।

वर्तमान में बिहार शिक्षा परियोजना, राहतास अन्तर्गत कुल चार गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन यथा संसार सार, रोप, ग्रामीण उत्थान क्लब, तिलौथू और बनवासी सेवा केन्द्र नौहट्टा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं । इन चारो गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण देने हेतु आरंभ निधि बनाया जायेगा। वर्तमान में जिला के स्तर पर कुल दो अनौपचारिक शिक्षा साधनसेवी व 15 अनुदेशक दक्ष शिक्षा प्रशिक्षित उपलब्ध हैं। वर्ष 94-95 में इन चारो संगठनों में एक साधनसेवी प्रति संगठन की दर से चार साधनसेवियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।इस प्रकार वर्ष 94-95 में कुल 6 अनौपचारिक शिक्षा साधन सेवी जिला स्तर पर उपलब्ध हो जायेंगे । प्रति संगठन 6 दक्ष प्रशिक्षकों की दर से 30 दक्ष प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।इनमें से 6 दक्ष प्रशिक्षक महिला सामाख्या कार्यक्रम हेतु होंगे। । इस प्रकार वर्ष 94-95 के अन्त तक कुल 45 अनौपचारिक शिक्षा दक्ष प्रशिक्षक उपलब्ध हो जायेंगे तथा सभी गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठन इस स्थिति में होंगे कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का प्रशिक्षण अपनी संस्था के स्तर पर इन प्रशिक्षित साधनसेवियों और दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से संचालित कर सके ।

उल्लेखनीय है कि जन शिक्षा केन्द्र न्यू एरिया सासाराम का प्रस्ताव जिला संसाधन इकाई डी. आर. यू. । हेतु सरकार के स्तर पर विचाराधीन है यदि वर्ष 94-95 में जिला संसाधन इकाई को औपचारिक स्वीकृति हो जाती है तब इसका उपयोग अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा तथा अनौपचारिक शिक्षा की अधिकांश गतिविधियाँ डी. आर. यू. के तत्वाधान में ही सम्पादित की जायेगी ।

9. जगजगी प्रशिक्षण:-

वर्ष 93-94 के अन्त तक कुल 30 जगजगी केन्द्र महिला सामाख्या के तत्वाधान में कार्यरत हो जायेगी । जगजगी केन्द्र अन्तर्गत महिलाओं व किशोरियों को साक्षरता का लक्ष्य है। साथ ही बालिकाओं के लिए स्कूल तैयारी अभियान को भी बल दिया जाना है ।

यह प्रस्ताव है कि वर्ष 94-95 में 100 नये जगजगी केन्द्र संचालित किए जायेंगे । इन केन्द्रों के लिए ड्राप आउट्स को देखते हुए कुल 120 सहेलियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी । यह प्रशिक्षण ये 6 दक्ष प्रशिक्षित प्रशिक्षिकाएं होंगी। जिनके प्रशिक्षण की चर्चा उपरांकित कंडिकाओं में की गयी है । इस प्रकार वर्ष 94-95 के अन्त तक प्रशिक्षित सहेलियों की संख्या 30+120=150 हो जायेगी ।

इस प्रकार जहाँ एक ओर प्रशिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों की गुणवत्ता, उन्मुखीकरण में बहुआयामी परिवर्तन लाने का प्रयास किया जायेगा वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु आवासीय संस्थागत ढाँचों का निर्माण और विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर भी बल दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की धुरी प्राथमिक स्तरीय शिक्षक होंगे।

प्रशिक्षण रणनीति: मुख्य बिन्दु

1. प्रशिक्षित शिक्षकों से सतत् सम्पर्क हेतु मासिक/त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन।
2. ठोस और प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु निरीक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।
3. अधिकाधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु वीडियो और ऑडियो सामग्री का उपयोग। शिक्षकों द्वारा समूह में दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग।
4. गुरू गोष्ठी के शैक्षणिक उपयोग पर बल तथा इसके माध्यम से पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों से सतत् सम्पर्क।
5. डायट उप केन्द्र अम्झोर की स्थापना।
6. कम लागत के शिक्षण/प्रशिक्षण उपादानों का निर्माण।

अनौपचारिक शिक्षा

I-पृष्ठ भूमि:-

विगत कुछ वर्षों में अनौपचारिक शिक्षा के परिदृश्य पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रारंभ होने के पूर्व इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रशासनिक और सहायक संरचनों की कमी थी। प्रशिक्षण सभी स्तरों पर अपर्याप्त था। तथा प्रभावी प्रबंधन व्यवस्थाओं की स्थापना को वांछित महत्व नहीं दिया जा सका था। उपर्युक्त आयामों के कारण सम्पूर्ण अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम धीरे-धीरे औचित्यहीन और प्रभावहीन हो रहा था।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक था कि-

(क) अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया को अधिक युक्तिसंगत और प्रभावी बनाया जाय।

(ख) पाठ्यक्रम संबंधी तथा सीखा सामग्री संबंधी आपूर्तियां सुनिश्चित की जाय।

(ग) अच्छी गुणवत्ता की शैक्षणिक और सीखा सामग्रियां का निर्माण किया जाय तथा वर्तमान परिवेश में उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित की जाय।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों के स्तर की विषयगत क्षमताओं का विकास किया जाय तथा अनौपचारिक व्यवस्था में शिक्षा पा रहे बच्चे बच्चियों को शिक्षोपरांत औपचारिक व्यवस्था में आने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

इन्हीं लक्ष्यों को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

सर्व व्यापी प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य तभी पाया जा सकता है जब कि ऐसे बच्चों जो पूर्णकालीक विद्यालयों में पढ़ने में असमर्थ है उनके लिए वैकल्पिक साधन के रूप में अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाय। अनौपचारिक उपलब्ध करायी जाय। अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और सुदूर दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र की बालिकाओं व कामकाजी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की संकल्पना की गयी है। यह भी संकल्पना की गयी है कि लक्ष्य वर्ग के इन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति हो सके।

बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास अन्तर्गत प्राथमिक

अनौपचारिक शिक्षा स्वैच्छिक संस्थाओं तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी

के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । अब तक 4 गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों रीप,संसार सार,बनवासी सेवा केन्द्र और तिलौथू ग्रामीण उत्थान क्लब के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त महिला सामाख्या समूहों द्वारा जगजगी केन्द्रों के रूप में भी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है ।

II-अब तक की उपलब्धियां:-

बर्ष 91-92 से अब तक जिला में अनौपचारिक शिक्षा के तहत 4 जिला स्तरीय साधन सेवियों का चयन व उनके राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा चुका है । इन साधन सेवियों द्वारा जिला स्तर पर 19 मास्टर ट्रेनर्स को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है । वित्तीय बर्ष 93-94 के प्रारंभ में जिला स्तर पर उपलब्ध साधन सेवियों और मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से कुल 270 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रारंभ किए गए थे ।

बर्ष 93-94 में दो स्वयं सेवी गैर सरकारी संगठनों बनवासी सेवा केन्द्र और तिलौथू स्काल अप लिफ्ट क्लब के माध्यम से 90 और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को प्रारंभ किया गया तथा महिला सामाख्या समूहों द्वारा जगजगी कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रारंभ किए गए । वर्तमान वित्तीय बर्ष के अन्त तक कुल 500 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत हो जायेंगें ।

III- बर्ष 94-95 की कार्य योजना:-

बर्ष 94-95 में ऐसे क्षेत्र जिसे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं किया गया है को प्राथमिकता के स्तर पर लिया जायेगा । इन क्षेत्रों में समुदाय की भागीदारी तथा वातावरण निर्माण के अन्तर्गत पद यात्रा,नुक्कड़ नाटक,सांस्कृतिक कार्यक्रम,दीवार लेखन इत्यादि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा के प्रति अभिरूचि जागृत की जायेगी ।

अनाच्छादित क्षेत्रों में ग्रामवार सर्वेक्षण के द्वारा 6 से 14 बर्ष आयु वर्ग के ऐसे सभी बालक-बालिकाओं का पूर्ण विवरण तैयार किया जायेगा जो किसी परिस्थितिवश विद्यालय नहीं जा पा रहें हों ।

ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण के ही क्रम में अनुदेशक की पहचान की जायेगी और उन्हें जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी । अनुदेशकों के चयन में विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अनुदेशकों के चयन में बल दिया जायेगा । अनुदेशकों के प्रशिक्षण की जवाबदेही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को दी जायेगी ।

अनौपचारिक शिक्षा के ही अन्तर्गत जिला में कार्यरत

चरवाहा विद्यालय का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा । वर्तमान में चरवाहा विद्यालय नौहट्टा प्रखंड में एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बिहार शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था बनवासी सेवा केन्द्र द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें लगभग 30 बालक-बालिकाएं लाभान्वित हो रहें हैं । चरवाहा विद्यालय में वोकेशनल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायपरक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ।

सभी प्रस्तावित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण अधिगम स्तर सामग्री का सुनियोजना उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति तथा कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है । सभी प्रस्तावित केन्द्रो के लिए बिहार सरकार के अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें समय से वितरित की जा रही है । इनके अतिरिक्त ज्ञान-वर्द्धक तथा रोचक पठन और खेल सामग्री भी केन्द्र के बच्चों को उपलब्ध करा दी जा रही है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थल चयन ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से किया जायेगा । ऐसे गांव जहां पढ़ने का स्थान बिल्कुल उपलब्ध नहीं है वहां वर्कशाम्प का निर्माण 15,000/-रु0 मात्र प्रति वर्कशेड की दर से स्थानीय लोकों की भागीदारी के माध्यम से किया जायेगा ।

अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण तथा अनौपचारिक शिक्षा में नवीन परिकल्पनाओं के निर्माण हेतु जिला स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं, महिला सामाख्या कोर टीम, शिक्षा से संबंधित अन्य कर्मियों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा ।

सभी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण व सतत् छात्र मूल्यांकन पर जोर दिया जायेगा ताकि अन्ततः अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने जा रहेबालक-बालिकाओं का औपचारिक शिक्षा प्रणाली प्रवेश सुनिश्चित कराया जा सके ।

IIZ- प्रशिक्षण का व्यापक फैलाव:-

आने वाले वित्तीय वर्ष में 5 सक्रिय की रिसोर्सपर्सन तथा 30 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है । पूर्व से कार्यरत की रिसोर्सपर्सनस और मास्टर ट्रेनर्स को मिलाकर कुल 7 की रिसोर्सपर्सनस तथा 45 मास्टर ट्रेनर्स जिला स्तर पर उपलब्ध हो जायेगें । इनकी रिसोर्स पर्सनस और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अगले वर्ष में कुल 1200 नये अनुदेशकों को तीन चरणों में

30 दिवसीय प्रशिक्षण तथा 500 पुराने अनुदेशकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दो चरणों में दिया जायेगा ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को और प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाने की दृष्टि से शिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी । इसके लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन पर्यवेक्षकों और अनुदेशकों के लिए किया जायेगा । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण के साथ-साथ खेल, गीत,नाटक वं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी जोड़ा जायेगा जिससे बालक-बालिकाओं में पढ़ने के प्रति रूझान कायम रहे ।

V- कठिनाईयां एवं उनसे निबटने के उपाय:-

गत वर्षों के अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम शिक्षा समितियों को पूर्णत: प्रशिक्षित नहीं होने के कारण ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है अत: ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में और अधिक गहराई से सम्मिलित किया जायेगा।

पिछले वर्षों के अनुभव से यह भी स्पष्ट हुआ है कि विभिन्न गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठन अपने क्षेत्र के ग्राम शिक्षा समितियों से प्रभावी संवाद स्थापित नहीं कर पाये हैं जिसके कारण समुदाय की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने में व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हुयी हैं । इस समस्या के निदान के लिए कुछ कार्यशालाओं का आयोजन आगामी वर्ष में किया जायेगा ।

अनुभवों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश अनुदेशक व पर्यवेक्षकों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रयोग की जा रही पाठ्य पुस्तकों में पाठवार निर्धारित दक्षता की जानकारी नहीं है । यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पर्यवेक्षकों व अनुदेशकों की विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति के विषय में जानकारी दी जायेगी ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के प्रभाव के आंकलन व पर्यवेक्षण हेतु प्रभावी प्रक्रिया का विकास भी किया जायेगा ।

========0========

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष- 93-94

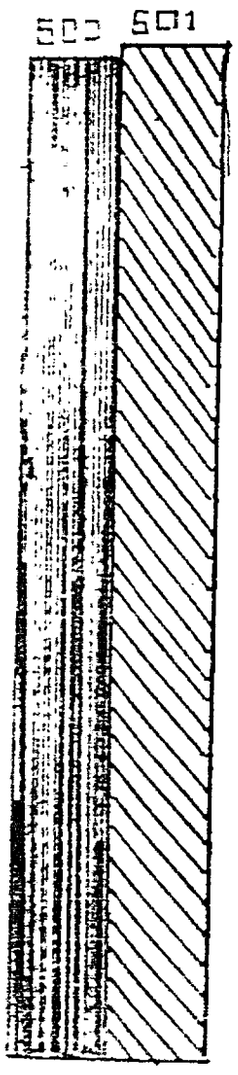

लक्ष्य
उपलब्धि

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, लक्ष्य एवं उपल

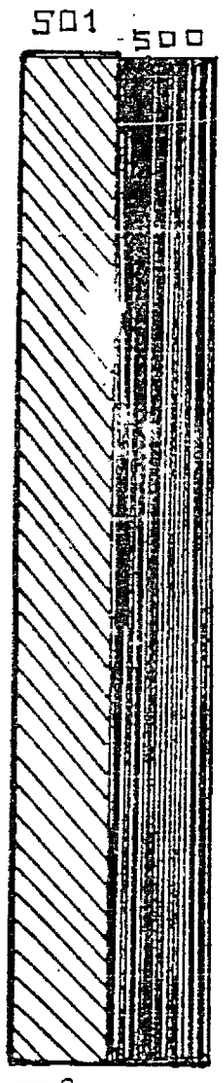

लक्ष्य
उपल

उपलब्धि लक्ष्य

महिला सामाख्या

1. पृष्ठभूमि:-

बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि महिलाओं को शिक्षा में व्यापक पहुँच और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती तो वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं होगी । महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण अंतिम लक्ष्य है तथा शिक्षा इस लक्ष्य तक पहुँचने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान परिपेक्ष्य में बिहार खासकर रोहतास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आज भी शैक्षिक व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रिया से वंचित रखी जाती है । अतः सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की अर्थपूर्ण और सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना, महिलाओं को अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पहचान कराना और आत्मनिर्भर तथा शिक्षित बनाना महिला सामाख्या कार्यक्रम के उद्देश्य हैं ।

2. 1993-94 के लक्ष्य और उपलब्धि:-

यदि वर्ष 93-94 के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कल तक जहाँ महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थीं । जहाँ उनके मस्तिष्क में "हम औरत हैं"; हमसे क्या होगा " बात धँसी थी वहीं महिलाएं आज विद्यालय, सड़क, पुल गाँव की सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य अपने सामूहिक बलबूते पर संभाल रही हैं । वे अब दैनिक जीवन में महिलाओं के साथ जाने अनजाने होने वाले शोषण और दबावों को विश्लेषित करने और समझने लगी हैं फलस्वरूप बहुत से पारिवारिक एवं व्यक्तिगत झगड़ों में लोग महिला समूहों से पंचायती करवाते हैं तथा इनके द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रशंसा आस-पास के गाँवों में भी सुनने को मिलती है ।

वर्ष 93-94 में महिला सामाख्या द्वारा जिले में कार्यक्रम की पहचान बनाने, शिवसागर प्रखण्ड के सभी 156 राजस्व ग्रामों में कार्यक्रम को आच्छादित करने तथा 160 महिला समूह बनाने और इन समूहों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य था। ग्राम स्तर पर 6 महिला कुटीर बनाने, 320 सखियों (प्रत्येक समूह से दो) को प्रशिक्षित करने तथा सहयोगिनियों की जानकारी की परिधि बढ़ाने हेतु कानून, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सरकारी योजनाओं आदि पर कार्यशाला आयोजन करना भी प्रस्तावित था। किशोरियों और बालिकाओं तथा वंचित वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा से

जोड़ने के क्रम में इनका नामांकन करना, छोजन रोकने का प्रयास करना तथा विधालयों में बच्चों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना भी प्रस्तावित था ।

वर्ष 93-94 में शिक्षानगर प्रखण्ड के कुल 160 समूहों में कार्यरत 16 सहयोगिनियों को दो चरणों में 15 दिन का तथा हर माह के अन्त में दो दिवसीय बैठकों के दौरान अब तक कुल 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है। इन आवासीय बैठकों की अवधि दो दिन से लेकर पाँच दिन तक रखा गया था। सहयोगिनियों को कानून, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भूमिका, जमीन, कानून तथा जनवितरण प्रणाली से सम्बंधित कार्यशालाएँ आयोजित की गईं ।

शिक्षानगर प्रखण्ड में 160 समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 145 समूहों का निर्माण हो चुका है । जहाँ महिलाओं की नियमित साप्ताहिक बैठक होती है । प्रत्येक समूह में न्यूनतम दस तथा अधिकतम 60 महिलाएँ एकत्रित होती हैं । इन समूहों में अबतक जनवितरण प्रणाली, पथ, पुल, विधालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, प्राथमिक विधालय भवन निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, न्यूनतम कृषि मजदूरी, पतियों परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने के मुद्दे उठाए जाते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में महिलाएँ इन समस्याओं से निपटने के उपाय ढूढ़ती हैं ।

वर्ष 93-94 में अबतक 320 सखी प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध कुल 200 सखियों को प्रशिक्षित किया गया है। माह जनवरी और फरवरी में दो प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर अतिरिक्त 120 सखियों का प्रशिक्षण कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा

वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पूरे शिक्षानगर प्रखण्ड में कुल लगभग 500 बालक तथा 300 बालिकाओं का नामांकन सहयोगिनियों एवं समूह की महिलाओं द्वारा कराया गया । इन बच्चों के नामांकन के उपरान्त ये नियमित रूप से विधालय में बने रहें तथा छोजन न हो पाए इसके लिए सहयोगिनियाँ भी नियमित रूप से विधालय जातीरहीं ।

अन्तर्समूह एकता को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रकार के मेलों यथा 8 मार्च के अवसर पर महिला मेला, 14 नवम्बर के अवसर पर बाल मेला में महिला समूहों की भागीदारी , जिला स्तरीय सखी मिलन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेला आदि का आयोजन किया गया तथा इन अवसरों पर महिला समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई गई । इसके लिए सहयोगिनियाँ

अपने-अपने संकुल की संकुल स्तरीय बैठकें भी करती हैं ।

वर्ष 93-94 में बालिका एवं महिला साक्षरता को बढ़ावा देने की दृष्टि से 30 गाँवों में जगजगी केन्द्र। किशोरी एवं महिला साक्षरता केन्द्र। खोलने का निर्णय लिया गया। गाँववार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अब तक कुल 22 सहेलियों को इन केन्द्रों के संचालन हेतु 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

वर्ष 93-94 में महिला सामाख्या कार्यक्रम की उपलब्धि का एक प्रमुख आयाम 4 और 5 नवम्बर को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में महिला सामाख्या सोहतास की प्रभावी भागीदारी था । राज्य स्तरीय सम्मेलन में जिला से 270 महिलाओं ने भाग लिया जो कि सातों बिहार शिक्षा परियोजना जिलों में सर्वाधिक संख्या थी ।

सम्मेलन में महिला समूहों द्वारा अपने प्रयासों से एक प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली, समाज में महिलाओं की स्थिति पर चुटकुले नाटक और गीत प्रस्तुत किए गए । इस भागीदारी से जहाँ महिला समूहों के सोच और समझ के दायरे में वृद्धि हुई वहीं उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा ।

3. अप्राप्त लक्ष्यों की कठिनाईयाँ :-

1. वर्ष 93-94 के 160 महिला समूह गठन के विरुद्ध शिवसागर प्रखण्ड में कुल 145 समूहों का गठन हो सका क्योंकि इस प्रखण्ड में मितन्दा, बरेवाँ, रामपुर, चन्दनपुरा आदि 8-10 गाँवों में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या नगण्य है । कुछ गाँव जैसे कुशहर, निमिया, मुसोहाबाद, अकोढ़ा आदि गाँवों में पिछड़ी जाति में भी जाति विशेष का बाहुल्य है, जहाँ लोग अच्छे खाते-पीते घर से हैं । ऐसे गाँवों में भी समूह बनाने में कठिनाई हो रही है किन्तु लगातार प्रयासों तथा आस-पास की महिला समूहों की सफलता को देख-सुनकर इन गाँवों में समूह बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है ।

2. कुछ गाँव जैसे विशुनपुर, बिउरा आदि में शुरू में समूह बने किन्तु बाद में कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा भड़काये जाने पर समूह टूटे । महिला सामाख्या राज्य स्तरीय सम्मेलन के कारण पुनः गाँवों की स्थिति बदली है तथा इन गाँवों में औरतें समूह में बैठने लगी हैं । आशा: मार्च, 94 तक कुल समूह बनने की संभावना है।

3. दिसम्बर, 93 तक जिला महिला सामाख्या संसाधन केन्द्र की स्थापना करनी थी । इसके दिशा में अबतक भवन देखा जा चुका है, किराये की बात पक्की हो गयी है। जनवरी के अन्त तक महिला सामाख्या संसाधन केन्द्र की स्थापना हो जायेगी ।

4. वर्ष 93-94 में कुल 6 महिला कुटीरों का निर्माण का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध अबतक 30 महिला समूहों से महिला कुटीर की मांग भूमि चयन के पश्चात आ चुका है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, शिवसागर को तीसरी बार पत्र लिखा गया है उनके स्तर से अनुमति मिलने पर इस दिशा में शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

4. वर्ष 94-95 की व्यूह रचना:-

1. वर्ष 94-95 में महिला सामाख्या रोहतास निम्न लक्ष्यों को केन्द्र बिन्दु मानकर चलेगा। वर्ष 94-95 में महिला सामाख्या, रोहतास द्वारा जिला स्तर से कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। इसके तहत महिला सामाख्या कोर टीम ने अतिरिक्त 150 गाँवों को न लेकर महिला सामाख्या कार्यक्रम को एक नये प्रखण्ड में शुरू किया जायेगा। यह प्रखण्ड शिवसागर प्रखण्ड के आस-पास का प्रखण्ड होगा। जिससे कार्यक्रम की सघनता बनी रहे। इसके लिए अप्रैल-मई, 94 में चयनित क्षेत्र में भ्रमण संपर्क। मई-जून माह में सहयोगिनी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। अगस्त माह में अंतिम रूप से सहयोगिनी चिन्हित कर कुछ समय तक गाँवों में कार्य देकर देखा जायेगा। सितम्बर माह में सहयोगिनी का प्रथम चरण प्रशिक्षण पूरा कर लिया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त प्रत्येक सहयोगिनी पहले अपने 5 गाँवों में सम्पर्क तथा महिला समूह बनाने का कार्य करेगी। तदुपरान्त दिसम्बर माह में इन सहयोगिनियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पूरा किया जायेगा। जनवरी से सभी सहयोगिनियाँ अपने 10 गाँवों में कार्य प्रारम्भ कर देंगी। इस प्रकार वर्ष 94-95 में महिला सामाख्या, रोहतास के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 160+150=210 गाँव होंगे।

2. महिला, किशोरी, बालिका शिक्षा एवं साक्षरता (जगजगी कार्यक्रम) वर्ष 94-95 में शिवसागर प्रखण्ड के कुल 160 गाँवों को पूर्ण साक्षर करने की दृष्टि से 100 अतिरिक्त जगजगी केन्द्र (महिला/किशोरी साक्षरता केन्द्र) खोला जायेगा। इसके साथ ही जनवरी, 94 में नामांकित बालक-बालिकाओं का ड्रोप आउट रोकने हेतु महिला समूहों द्वारा विशेष रूप से विद्यालयों की निगरानी की जायेगी तथा शिक्षकों की सहायता की जायेगी। इस वर्ष तीन माह के अंतराल पर अभिभावक-शिक्षक-छात्र बैठक भी आयोजित की जायेगी जिसमें प्रत्येक वर्ष के वर्ग शिक्षक-अभिभावक को उसके बच्चे के बारे में उसके विद्यालयीय कार्यकलापों संबंधी, पठन-पाठन संबंधी जानकारी देगा। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा। अभिभावक एवं शिक्षकों द्वारा गाँव तथा विद्या-

-लय के संबंधों पर चर्चा की जायेगी । जिसमें गाँव के लोगों तथा विद्यालय के बीच उत्तरोत्तर घनिष्ठ संबंध बने । समय-समय पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में महिलाओं विशेषकर माँ की भागीदारी बढ़ाने हेतु समूहों में चर्चा होगी ।

3. महिला एवं किशोरियों को साक्षरता के 100 प्रतिशत लक्ष्य पाने हेतु शिवसागर प्रखण्ड के कुल 130 समूहों में दो चरणों में 30 जगजगी केन्द्र तथा दो चरणों में 35 जगजगी केन्द्र खोलकर लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। इनके गुणात्मक स्तर को बनाये रखने हेतु प्रत्येक संकुल में एक मॉडल जगजगी केन्द्र स्थापित किया जायेगा। जिसकी लगातार मोनिटरिंग होगी तथा मूल्यांकन द्वारा इसे और बेहतर स्वरूप दिया जायेगा जिससे ये 16 केन्द्र अन्य जगजगी केन्द्रों के प्रेरणा स्त्रोत बने। राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर जगजगी केन्द्रों में मेला का आयोजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

4. महिला कुटीर के अन्तर्गत अप्रैल, 94 से सितम्बर, 94 तक 60 महिला कुटीर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए भूमि चयनित है तथा अनुमति हेतु सूची अंचलाधिकारी, शिवसागर के पास भेज दी गयी है ।

5. वर्ष 94-95 में नवाचार :-

वर्ष 94-95 में नवाचार के क्षेत्र में मुख्य कदम बालिका शिक्षा पर बल दिया जाना होगा। बालिका शिक्षा का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त तभी हो सकती है जबकि 6 से 14 वर्ष की सभी बालिकाओं का आच्छादन किया जाय। बालिका शिक्षा से आर्थिक उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि पढ़ी लिखी बालिका ही पढ़ी लिखी महिला बनेगी तथा औपचारिक व अनौपचारिक उत्पान प्रक्रियाओं में कार्यरत होगी जिससे की राष्ट्र के कामगार बल में भी अभिवृद्धि होगी । बालिका शिक्षा से सामाजिक विकास को भी बल मिलेगा जिसके अन्तर्गत बच्चों की मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर में कमी, स्वच्छता व सफाई की बेहतर समझ विकसित होगी । सामाजिक समानता के भी दृष्टिकोण से बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है । बालिका के शिक्षित हो जाने से परिवार में महिलाओं के स्थान में भी परिवर्तन आयेगा तथा वे अपने व्यक्तिगत अधिकारों का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकेगी । बालिका शिक्षा का महत्व अन्तर्पीढ़ी शिक्षा के परिपेक्ष्य में भी बढ़ जाता है क्यों कि यह सर्वविदित सत्य है कि निरक्षर माँ की अपेक्षा साक्षर माँ अपने बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पायेगी ।

उपर्युक्त सभी तथ्यों को देखते हुए महिला समाख्या अन्तर्गत नवाचार के कदम के रूप में जगजगी कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा। इस कार्यक्रम

के अन्तर्गत निम्नांकित लक्ष्य रखे जायेगें :-

(क) बालिकाओं के लिए विद्यालय तैयारी अभियान पूरे शिवसागर प्रखण्ड में 6 से 8 वर्ष तक की बालिकाओं में प्रत्येक गाँव में विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने हेतु माह दिसम्बर, जनवरी में महिला समूह के माध्यम से प्रभातफेरी का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रत्येक महिला समूह की महिलाएं भाग लेगी। इसी प्रकार अभिभावकों को बालिकाओं के नामांकन हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से माँ-बच्चे मेला का आयोजन किया जायेगा। इन मेलों में 6 से 14 वर्ष की बालिकाएं व उनकी माताएं भाग लेगी। मेले में प्रदर्शनी व सांस्कृतिक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर विशेषकर बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला जायेगा इसी प्रकार वर्ष में दो बार बालिका व किशोरी मेला का आयोजन किया जायेगा इन मेलो में वे बालिकाएं/किशोरियाँ सम्मिलित होगी जो कि परिवार की आर्थिक दृष्टि और अन्य कारणों से औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नही जा पाती है तथा जिन्हें जगजगी केन्द्रों के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है।

(ख) बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित कराना तथा छीजन रोकना:-

जनवरी माह से ही प्रत्येक गाँव में कार्यरत महिला समूह ,सखी,सहेली और सहयोगिनी के समेकित प्रयासों से 6 से 8 वर्ष की बालिकाओं का प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा। लगभग 2000 बालिकाओं का नामांकन महिला सामाख्या के क्षेत्र में होगा। ये बालिकाएं नामांकन के उपरान्त नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहे तथा इनके छीजन को रोका जा सके इसके लिए महिला समूह नियमित निगरानी करेगा तथा जिन विद्यालयों में नामांकन हुआ है वहाँ अध्यापकों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) महिलाओं की साक्षरता एवं शिक्षा हेतु जगजगी केन्द्र:-

महिलाओं एवं किशोरियों की साक्षरता के शत-प्रतिशत लक्ष्य को पाने हेतु शिवसागर प्रखंड के 130 समूहों में दो चरणों में 30 जगजगी केन्द्र तथा दो चरणों में 35 जगजगी केन्द्र खोलकर लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार शिवसागर प्रखण्ड की 6 से 14 वर्ष की कुल बालिकाओं की संख्या 9852 बालिकाओं में से 6800 बालिकाओं को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आच्छादित किया जायेगा। शिवसागर प्रखण्ड के 16 चयनित गाँवों में एक-एक मॉडल जगजगी केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इस केन्द्र में गाँव की शत-प्रतिशत निरक्षर किशोरियों/बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही गुणवत्ता व पाठ्यक्रम के सम्प्रेषण के प्रभाव के संबंध में निश्चित समय/अंतरालों पर मूल्यांकन भी किया जायेगा।

किए जायेगें ।

6. महिला सामाख्या वर्ष 97 तक: एक विहंगम दृष्टि :-

वर्ष 1997 तक महिला सामाख्या कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के प्रति वर्तमान सोच में बदलाव आयेगा । इस दौरान रोहतास जिले में कुछ बॉडेल महिला समूह तैयार किए जायेगें जो महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक स्थितियों पर स्वयं निर्णय ले सके तथा पहल कर सके । वर्ष 1995 तक शिक्षानगर प्रखण्ड के समस्त महिला समूहों को स्वावलम्बन की स्थिति में लाया जायेगा तथा महिला सामाख्या कार्यकर्त्ता/सहयोगिनी इतर तक इस प्रखण्ड के जगह नये प्रखण्ड में कार्य करेंगे । इस प्रकार वर्ष 97 तक जिले के अधिकतम प्रखण्डों को महिला सामाख्या कार्यक्रम से आच्छादित किया जायेगा।

-----0------

(घ) बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा जगजगी केन्द्र:-

इन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कुल 5900 बालिकाएं लाभान्वित होंगी । शिक्षुओं के आधार पर इन केन्द्रों को तीन भागों में विभाजित किया जायेगा । किशोरियों के लिए 9-14, महिलाओं के लिए 15-35 वर्ष, मिश्रित केन्द्र जगजगी केन्द्र की अनुदेशिका, सहेली कहलायेगी जो शिक्षार्थियों के अक्षर ज्ञान के साथ साथ अन्य संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी भी देगी । इन केन्द्रों की अवधि पाठ्य योजना व कार्यान्वयन प्रणाली अनौपचारिक शिक्षा के तहत ही होगी । लेकिन जगजगी केन्द्रों में अलग से पर्यवेक्षक नहीं होगें । इसकी देखरेख महिला समूह तथा सहयोगिनियां करेंगी ।

(च) जगजगी अन्तर्गत महिलाओं द्वारा गाँव स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की निगरानी की क्षमताओं तथा ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी ।

नवाचार के अन्य पहलुओं में वर्ष 94-95 में शिवसागर प्रखण्ड में प्रत्येक महिला समूहों द्वारा बचत का कार्य भी प्रारम्भ किया जायेगा । इसके साथ ही महिला समूहों को तकनीकी शिक्षा भी दी जायेगी जैसे राजमिस्त्री का कार्य, चापाकल मरम्मति इत्यादि । मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि तकनीकी शिक्षा पाकर ये महिलाएं गाँव के निर्माण और चापाकल रख-रखाव संबंधी कार्यों की जवाबदेही ले सके ।

स्थानीय उद्योग समूह पी.पी.सी.एल. अमझोर और महिला सामाख्या कार्यक्रम के बीच प्रभावी सहयोग स्थापित कर प्रयोगात्मक रूप में इस उद्योग समूह के अपशिष्ट पदार्थ सिन्डर के उपयोग से ईंट बनाने की परियोजना का प्रस्ताव भी प्रस्तावित है ।

वर्ष 94-95 में महिला समूहों द्वारा वृक्षारोपण कार्य भी प्रस्तावित है । 100 वृक्ष प्रति दिन प्रति समूह की दर से 16000 वृक्ष लगाए जायेगें । फरवरी मार्च माह में जिला सामाख्या और समूह स्थानीय वन विभाग के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर लगाए जाने वाले वृक्षों की सूची व उपलब्धता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी । वृक्षारोपण हेतु भूमि स्थानीय समुदाय की मदद से तथा जिला प्रशासन की मदद से उपलब्ध करायी जायेगी ।

वर्ष 94-95 में महिला सामाख्या अन्तर्गत क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों और जिला स्तर पर संवादों का त्वरित सम्प्रेषण सुनिश्चित करने हेतु एक त्रैमासिक पत्रिका तथा कार्यक्रम से संबंधित बुकलेट और विभिन्न गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में महिला सामाख्या कर्मियों द्वारा तैयार किए गए गीतों के संकलन भी प्रकाशित

समाख्या ... केन्द्र लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष 93-94

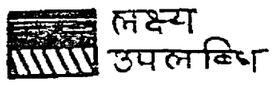

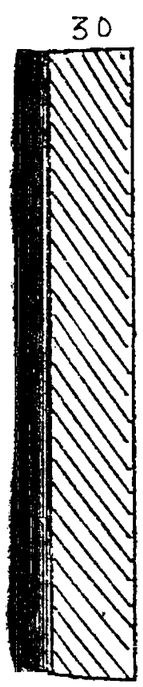

महिला समूह निर्माण लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष 93-94

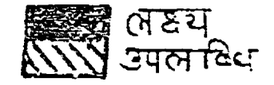

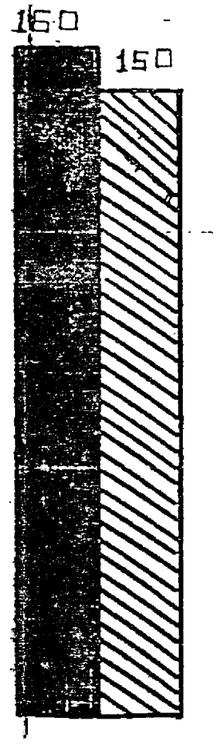

संस्कृति, संचार और सतत् शिक्षा

I- पृष्ठ भूमि:-

समुदाय में प्राथमिक शिक्षा की मांग जागृत करने तथा प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं तथा संचार के विभिन्न माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है । लोक कलाएं, प्रदर्शनी, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, दृश्य और श्रव्य मोडयूल के प्रभावी उपयोग से समुदाय को परियोजना के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के प्रति उन्मुख किया जा सकता है ।

विगत वर्षों में बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास अन्तर्गत इस क्षेत्र में ठोस पहल की गई । तथा जिले में कार्यरत विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को न केवल चिन्हित किया गया अपितु विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का उपयोग परियोजना के विषय के जानकारी और संवादों के सम्प्रेषण के लिए भी किया गया । जिला स्तर पर परियोजना के तत्वावधान में दो सांस्कृतिक टोलियों का गठन किया गया । प्रत्येक टोली में 8 लोक कलाकार थे । इन्हें परियोजना की आवश्यकताओं के आलोक में पुर्न प्रशिक्षित किया गया तथा धागा और दस्ताना कठपुतली और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया । तदुपरांत इन टोलियों द्वारा विभिन्न कम्पोनेंट्स अन्तर्गत माहौल निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग दिया गया ।

वर्ष 93-94 में ही अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाले गीतों तथा अन्य सांस्कृतिक सामग्री को संकलित कर पुस्तिका में मुद्रित किया गया तथा इसे सभी परियोजना कर्मियों को उपलब्ध कराया गया । बिहार शिक्षा परियोजना समाचार नामक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया ताकि परियोजना के जिला स्तरीय कार्यालय और क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मियों के बीच संवादों का संप्रेषण सुनिश्चित किया जा सके ।

वर्ष 93-94 में ही दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का भी प्रभावी उपयोग कर परियोजना के संबंध में समुदाय को जागृत किया गया तथा जनसाधारण की मनोवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए ।

II- वर्ष 94-95 की कार्य योजना :-

वातावरण निर्माण और हिमायत अन्तर्गत लोक कला,

लोक थियेटर,कठपुतली प्रदर्शन,नुक्कड़ नाटक,पैदल जत्था,कला जत्था, साईकिल रैली,बच्चों की रिले दौड़,मानव श्रृंखलाओंका निर्माण,बाल मेलों, समूह गानों,विद्यालय आधारित कार्य-कलापों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ।

बिहार शिक्षा परियोजना के विभिन्न कम्पोनेंट्स से संबंधित विभिन्न विषयों पर शैक्षिक/प्रशिक्षण/सूचना और प्रचार कार्यक्रमों के वीडियो और ओडियो मोड्यूलों का निर्माण वितरण तथा प्रदर्शन किया जाएगा । मुख्य बल प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु दृश्य और श्रव्य सामग्री के निर्माण को दिया जायेगा ।

सबके लिए शिक्षा और अन्य संबंधित विषयों के प्रचार-प्रसार वातावरण निर्माण एवं समुदाय को उन्मुख करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों,आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि का नियमित उपयोग किया जाएगा । इसके लिए स्थानीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को नियमित अवधि के कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि शिक्षक समूहों में बैठकर इन दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का अवलोकन करें । परियोजना स्तर पर उपलब्ध वीडियो वेन का उपयोग भी इन कार्यों के लिए किया जाएगा ।

जिला स्तर पर एक मासिक संस्था पत्रिका विहान का प्रकाशन हो रहा है । इसे और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा । इसी प्रकार महिला सामाख्या की अपनी एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाएगा । इनका उपयोग प्रशिक्षित शिक्षकों तथा प्रशिक्षित महिला सामाख्या कर्मियों के साथ सतत सम्पर्क बनाए रखने के लिए किया जाएगा ।

सैचार कार्यक्रमों के प्रलेखन और मूल्यांकन की भी व्यवस्था की जाएगी ।

=======0======

Bihar Education Project, Rohtas, Sasaram.

BUDGET FOR - 1994-95

Sl.No.	CATEGORY	PHY. TARGET	OUTLAY(in Lakh)
'A'	PROJECT MANAGEMENT		
1-	Salaris/Honerarium/Allow.for Technical/Manage rial Support &&Class IV Staff & Drivers		7.00
2-	Management Information & Monitoring System.		1.50
	Recurring Expenditure on Misc. (Floppies Maint.Printing of formats etc)		
3-	Rent Taxes etc for office		1.68
4-	Office Expenditure on Cosunmables.		1.50
5-	Other Administrative office Expen. (Telephone)		
6-	Basic Mobility Requirements for prog.Management and Moitoring.		
	RECURRING		2.50
	NON RECURRING		0.50
7-	ADVOCACY : Office Expenses on A/C of meetings of participatory Agency connected with the project other States,Donors Agencies, Experts,Ngo's to promote Greater Understanding of BEP concepts project Formulation & Implimenttation		1.50
		Sub.Total-	16.18

'B'	PRIMARY FORMAL EDUCATION	PHY. TARGET	OUTLAY
1-	Workshop on UPE Microplanning school maping NEC & MLL To initiate microplanning,Retiona-lisation of Teacher Units and At Rs.15,000/- per workshop for 40 participants for ten w.s.		0.75
2-	Comprehensive Beanhmark Survey for UPE & EFA (Through Mobilisa--tion of Community volumteers X Teachers)Rs.3300/-per Block for 5 blocks.	5	0.16
3-	a) Coferences with teachers orgn. strenthen partnership for Education for all (10,000 X 15)	15	1.5
	b) Workshop for Enrolment Drive and allied activites for UPE Rs. 1500/-for block		.36
4-	Supply of Innovative school equipment and Instructional Aids for qualitative Improvement of Education @Rs.10000X600	600 School	60.00
5-	Sports Material @Rs.2000/-per school X 600	600 school	12.00
6-	Promoting Access/participation of the Girl child through support for teaching/learning materials (Books,Bag etc.) -(60,400X 60)	60,400	36.240
7-	Promoting Access/participation of S.C.,S.T.Boys as above.	52060	31.236
8.	Writers Wordshop for local Dia-lect Dev.for language Teaching and curriculum dev.inculuding field testing @Rs.10,000 X 4	4	0.40
9.	Orientation of teachers for improved science and Maths Teac.	10	1.00
10.	Establishments of school Libra. @ Rs.3000 X 600	600	18.00
11.	Prov.of Infra-structure for UPE		
	a. const.of school building-78x1.5	78	117.00
	b. Repair of School Buil.(200x30,000)	200	60.00
	c. School Amenities		
	i) Latriene @Rs.15000x200	200	30.00
	ii) Drinking water	740	32.00
	d. School Furn.@Rs.5,000x600	600	30.00

Rs.in Lakh

Sl.No.	Categeory	Phy. Target	OUTLAY
12.	School Health programme	- -	2.00
13.	School Based Activities	- -	2.50
14.	Black Board to all school @ Rs. 300/-	1520	4.56
15.	Award to teachers @ Rs.500x5	30	0.15
	Sub.Total-		438.356
	(C) T R A I N I N G		
1.	In service Teacher Training (10+11 days)Two phase out side Dist for 18 teachers (200000 + 30,725) per 35 Trainees.	1820	26.37
2.	In service Teacher Training (11 days 2nd Couress outside Dist.)		XX
3.	Distribution of Teaching kits @ Rs. 200/- for thousand teach.)	1820	3.64
4.	Three days Workshop for preparing improvised apparatus(Low cost - -571.43 x 3 x 100)	100 Teachers	2.00
	XXXXXXX.		
	III-Sub.Total :-		32.01

Sl.No.	C A T E G O R Y	Phy. Target	OUTLAY
	D I E T S		
4.	i. Strenghthening & upgradation		20.00
	ii. Management expensese		6.60
	iii. Programme Activities :		
	a) INSET Training		3.00
	b) H.Ms Training(Four courss for 25 H.Ms. for five days)	100	2.00
	c) Edu.Officers Training (25 teachers for five days 3 courses).	25	0.50
	d) Seminer /Workshop (100 Teachers for 4 days 6 in yr.)		0.216 1.485
	iv) District Resource Unit		1.00
	v) Teacher Contract programme		
	a. Magazine		0.96
	b. Mettings(Guru Gosthi)		0.25
5.	H.M's Training outside Dist.		0.35
6.	Edu.Officers Tra.outside Dist.		1.12
7.	VEC Functionaries Training (400 VEC for 3 days)	400 VEC	1.00
8.	Ttudy Tour & Trang.of Teachers Trainers outside,Bihar		1.25
9.	Rolling Fund Assis.to SCERT (Training ofRes.persons in non BEP Distts.)		0.00
10.	BEP Functionaries Training		0.25
11.	Misc. Training		0.25
	Sub.TOTAL-		40.231

Sl.No.	C A T E G O R Y	Phy.Target	OUTLAY
(E)	MAHILA SAMAKHYA		
1.	Establishment cost of M.S. component in the BEP office (Honorarium,Salaries,TA/DA etc.) including 130 Saheli's		6.91
2.	Rent,Hire Charges etc.on A/C of the programme.		0.50
3.	Training (All cost included)		
	a. M.S.Distt.core Team		0.10
	b. Sahyoginies		0.50
	c. Sskhis- I phase		1.00
	II Phase		
4.	Workshops/Meetings/conventions & other M.S.reated activities.	10	2.00
5.	Study Tour etc.		0.30
6.	Estb. of Mahila shikshan kendra	8	12.00
	a. Non Recurring		
	i) Construction,Repair.		
	ii) Eduipment/Furn.etc.		
	b. Recurring		
	i) Salary/Honorarium		
	ii) T.A.D.A./Other exp.		
	iii) Office/prog.contingency		
	iv) Training Exp.		
	v) Study Tour etc.		
	iv) Libtary		
7.	Est. of M.S. Resource Centre		
	a. Recurring		2.00
	b. Non-Recurring		
8.	Publications/Documebtation		1.00
9.	Estb. of Field Centres		10.00
10.	Mahila Samakhya Huts	60	9.00
11.	Support to NGOs for M.S.related Activities.		0.00
12.	Training Kit for M.S.		0.25
	Sub.Total-		45.56

Sl.No.	Pry. Non - Formal Education	Phy.Target	OUTLAY
1-	a.Primary centrres(Honoraria/ Training/learning materials @ Rs. 1500(NR)	1000	15.00
	@ Rs. 6925 (REC)	150	103.944
	b. Upper Primary Centres @ Rs. 1800 (H.R.)		0.00
	@ Rs. 11850 (REC)	0	0.00
2.	Workshed @ Rs. 15,000	100	15.00
3.	Workshops for Defining Stratigies streps,related Activities @ Rs. 15,000/-per W.S.	6	0.90
4.	Resource person Training	(RP)	2.50
	5 R.P. & 30Mastertrainners	30(MT)	
5.	Awarrds to Instructors/centers @ Rs.500/-	20	0.10
6.	Field Visits/Study Tours		0.20
7.	NFE Project Cost.	1500	5.61
8.	Strengthening and supporting Activities in D.R.U's and other Resource centres through materials Dev.& Training.		0.20
	Sub.Total-		143.454
	GRAND-TOTAL:-		715.791

ROHTAS DISTRICT PROFILE

(1) Total Geographical area(in sq. Km.:- 3834.3

(2) No. of inhabited villages :- 1695

(3) Total population(1991) :- 19,17,916

(a) Males :- 11,36,332

(b) Females :- 7,81,089

	1981	1991
(4) Total literates	5,17,360	9,31,556
(a) Male	3,87,558	5,48,813
(b) Female	1,29,772	1,82,743
(5) S.C. Literates	43,538	67,376
(6) S.T. Literates	1,813	3,072
(7) Urban literates	1,05,623	1,44,241
(8) Rural literates	4,11,737	5,87,315

In percent

(1) percent literates to total population	32.86	38.15
(2) percent male literates to total population	74.92	75.02
(3) percent Female literates to total population	25.08	24.98
(4) percent S.C. literates to S.C. population	16.99	19.70
(5) percent S.T. literates to S.T. population	12.01	15.48

ENROLLMENT IN PRIMARY SCHOOLS

(1) Total enrollment in 1992 2,82,459

(2) Total no. of S.C. Boys & girls enrolled in 1992 39,015

(3) Total no. of S.T. Boys & girls inrolled in 1992 1,345

(4) Total enrollment in 1993 3,13,558

(5) Total no. of S.C. boys & girls enrolled in 1993 44,516

(6) Total no. of S.T. boys & girls enrolled in 1993 2,038

(7) Increase in enrollment 313558-282459=31099 = 11%

(8) Total children(6 to 14 age group) 4,65,056

(9) Total children (6 to 14) not Covered by primary schools: 465056-313558=151498=33%

POPULATION : TOTAL AND 6 TO 14 AGE GROUP.

Year	Total Population	6 to 14 Population.	Girls	Boys
1993	20,30,804	3,87,372	1,82,064	2,05,308
1994	21,10,338	4,00,942	1,88,442	2,12,500
1995	21,83,555	4,14,875	1,94,991	2,19,884
1996	22,58,496	4,29,114	2,01,683	2,27,431

NOTE 1. The Population Figures for 1994,1995 and 1996 are Based on Population Projection.

NOTE 2. Yearly Growth Rate = 2.35%

NOTE 3. 06-14 AGE Group is 19% of the Total Population.

0-6 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की वर्षवार संख्या

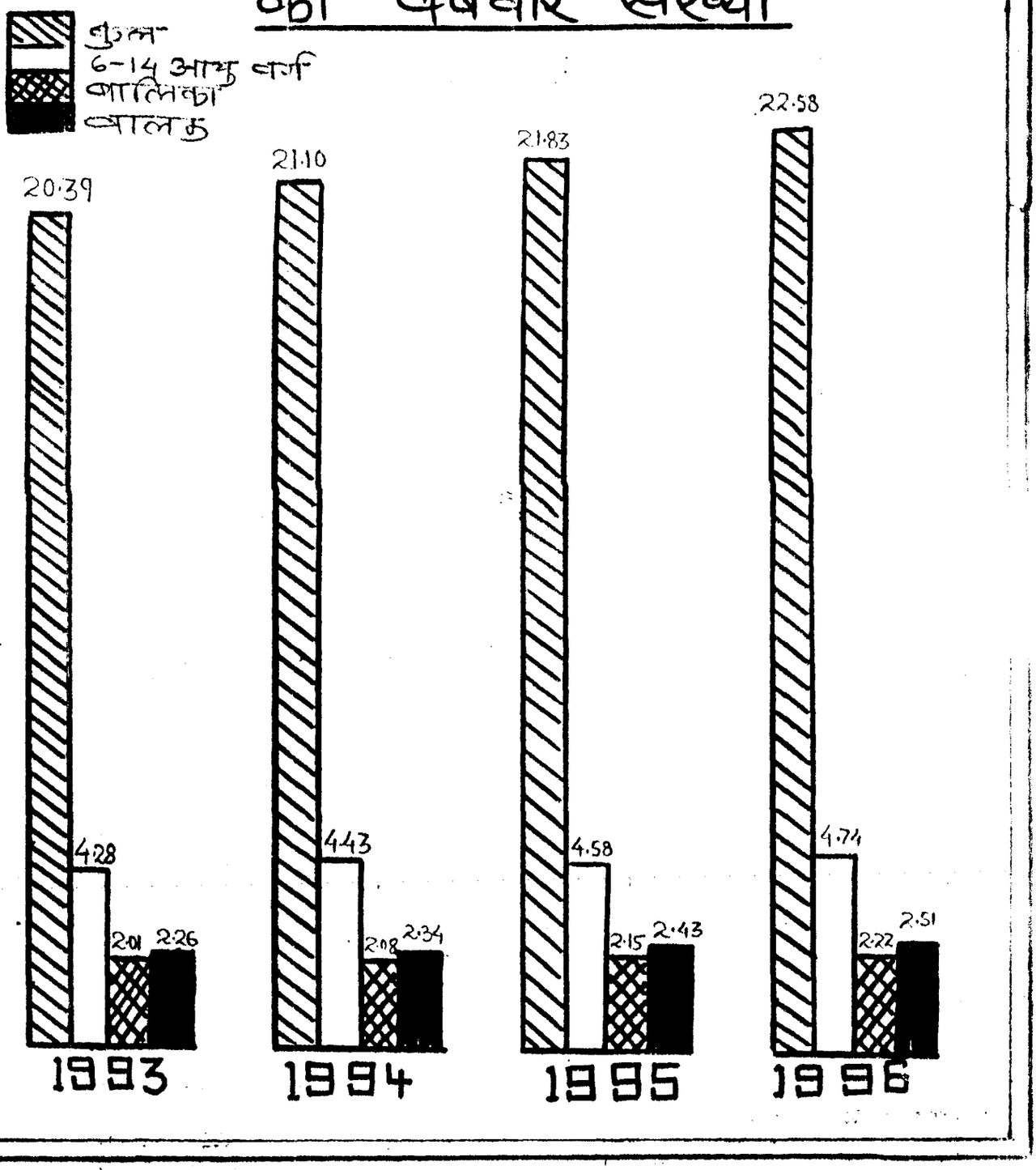

6-14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की वर्ष वार संख्या

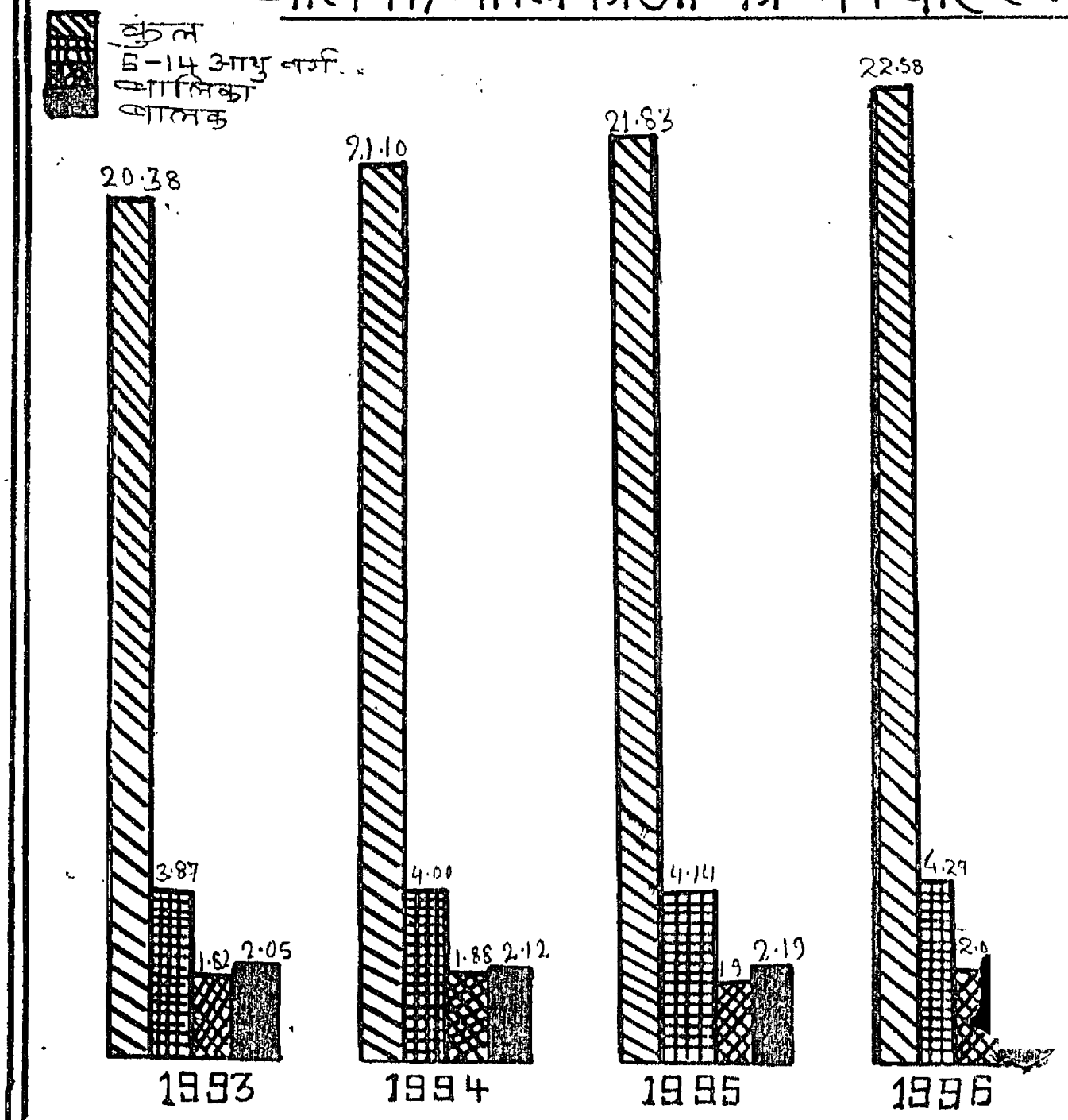

...NTATION CENTRE
...titute of Educational
... and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8266
Date 05-10-94